TATA STEEL FOUNDATION

TATA

कुँडुख़ टाईम्स

(अंक 03, अप्रैल से जून 2022)

वेब पत्रिका का त्रैमासिक मुद्रित संस्करण

Prepared by :
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya
Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

Kurukhtimes.com

विरासत विशेषांक

In Association with:
TRIBAL CULTURAL SOCIETY, JAMSHEDPUR
An Ethnicity Wing of TATA STEEL FOUNDATION

प्रकाशक : अद्दी अखड़ा प्रकाशन, राँची, झारखण्ड (भारत)

TATA STEEL FOUNDATION

TATA

Tata Steel Foundation, a wholly owned subsidiary of Tata Steel Limited, was incorporated on August 16, 2016. With over 500 members spread across eleven units and two states of Jharkhand and Odisha, the Foundation is a CSR implementing organization focused upon co-creating solutions, with tribal and excluded communities, to address their development challenges reaching more than 1.5 million lives annually across 4,500 villages. The Foundation endeavors to implement change models that are replicable at a national scale, enabling significant and lasting betterment of communities proximate to Tata Steel's operating locations while embedding a societal perspective in key business decisions. The Foundation strives for excellence by ensuring that all programmes are aligned with community needs and focused upon national priority areas enabling communities to access and control resources to improve the quality of their lives with dignity.

TATA STEEL FOUNDATION **TATA**

ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी, टाटा स्टील फाउंडेशन के अंतर्गत हाशिये पर आ चुके समुदायों विशेषत: अनुसूचित जनजाति के लिए ही कार्यरत इकाई है। यह एक अव्यवसायिक और स्वयंसेवी संगठन है। ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी की यात्र 1974 में तब से शुरू हुई जबकी इसके जनजातीय मामलों के लिए एक संयुक्त समिति के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया। वर्ष 1983 में समिति पंजीयन अधिनियम के तहत इसका एक समिति के रूप में पंजीयन कराया गया। टाटा ट्राईबल कल्चरल सोसाईटी का मुख्य उद्देश्य जनजाति अस्मिता और धरोहर को प्रोत्साहित करना है। यह जनजातीय जीवन, संस्कृति तथा आजीविका के विभिन्न पक्षों में आर्थिक पहल के जरिए जनजातीय कला और संस्कृति के संरक्षण और संवर्द्धन से सम्बंद्ध गतिविधियों पर केन्द्रित है।

कार्य के प्रमुख क्षेत्र हैं :-

- जनजातीय समुदायों की देशज अस्मिता या मौलिक पहचान का संरक्षण और संवर्द्धन।
- सशक्त समाजों के निर्माण हेतु शिक्षा को विशेषत: युवाओं के मधय प्रोत्साहित करना।
- कौशल विकास के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को रोजगार हेतु प्रोत्साहित करना।

Address:

In Association with
TRIBAL CULTURE SOCIETY, JAMSHEDPUR
(An Ethnicity Wing of TATA STEEL FOUNDATION)

E. Road Northen Town Bistupur
Jamshedpur - 834001 (Jharkhand)
Contact No. : 918579015646
jiren.topno@tatasteel.com
Shiv.Kandeyong@tatasteelfoundation.org

Printing at : Good News Printer, Kantatoli, Ranchi, Mob : 7631000562

[illegible]
कुँड़ुख़ टाईम्स
https://kurukhtimes.com
वेब वर्जन पत्रिका का त्रैमासिक
मुद्रित संस्करण
(अंक 03, अप्रैल से जून 2022)

Consulting Editor :
Mr. Kishlaya, Ranchi, Jharkhand
Mob. # 9431113111

Executive Editor :
Dr. Bindu Pahan, Birsa Nagar, Zone-6, Jamshedpur, Mob # 9798956544

Assistant Editor :
Shri Bhuneshwar Oraon, Tilsiri, Ghaghra Gumla, Mob # 9798956544

Co-Ordinator :
Dr. Narayan Oraon, Sainda, Sisai, Gumla, Mob. # 9771163804

Editorial Board :
1. Shri Jita Oraon, Ranchi Mob. # 9905215471
2. Shri Bipta Oraon, Jogo Pahar, Ranchi, Mob # 9693855399
3. Mr. Mahadeo Toppo, Ranchi Mob. # 7250212369
4. Dr. (Smt.) Shanti Xalxo, Ranchi Mob. # 9905215471
5. Dr. (Smt.) Meena Toppo, Ranchi Mob # 9431729685
6. Dr. Satyotam Bhagat, Jamshedpur Mob. # 9608706239
7. Dr. Narayan Bhagat, Ranchi Mob. # 8521458677

Publication Office :
Tolong Chambbi, Boreya Road, Chirondi, Nagra Dippa, PS: Bariatu, Dist. : Ranchi (Jharkhand), Pin: 834006

Published by :-
Addi Akhra Prakashan, Ranchi
Boreya Road, Chiroundi, Pin - 834006

Prepared by :-
Addi Kurukh Chaala Dhumkuriya Parha Akhra (Addi Akhra), Ranchi

In Association with
TRIBAL CULTURAL SOCIETY JAMSHEDPUR
An Ethnicity Wing of TATA STEEL FOUNDATION

तरपाँती — पईत्त पाब — पक्खे

1. तोलोंग सिकि (लिपि) का आधार (प्रकृति और कलाकृति) — 02
2. कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि तोड़पाब (वर्णमाला) — 03
3. कुँड़ुख़ हहस / कुँड़ुख़ भाषा की ध्वनियाँ (Kurux Phonemes) — 04
4. कुँड़ुख़ भाषा की तोलोंग सिकि का विकास एवं उराँव समाज — 05
5. पारम्परिक उराँव (कुँड़ुख़) समाज की सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक विरासत — 12
6. लकड़ा, ककड़ो अरा मनख़ा ख़ाःपुस — 16
7. कुँड़ुख़ व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली, विषय पर कार्यशाला / उदघोषणा — 20
8. पिता की संपत्ति पर बेटी का अधिकार : एक उराँव महिला की कलम से — 26
9. संरक्षक मण्डल सदस्य के कलम का उद्‌गार — 29
10. परम्परागत धुमकुड़िया पुनर्जागरण अभियान हेतु सैन्दा गांव की पहल — 30
11. परम्परागत पड़हा–बिसु सेन्दरा पुनर्जागरण हेतु 22 पड़हा गांव की पहल — 31
12. टी०एस०एफ० द्वारा संपोषित कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि शिक्षण केन्द्र का झलक — 32

I. [illegible] (पेंच्छका = संपादकीय)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dated - 30.06.2022 — *- Bindu Pahan, E. Editor*

तोलोङ सिकि (लिपि) का आधार

तोलोङ सिकि (लिपि) : आदिवासी भाषा, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा, विज्ञान एंव आध्यात्म का अद्भूत प्रस्तुतिकरण

2. (कुँड़ुख़ तोलोङ सिकि तोःड़पाब)
Tolong Siki Alphabet / तोलोङ सिकि वर्णमाला

(सरह तोड़) = स्वर वर्ण (Vowels)

इ i   ए e   उ u   ओ o   अ a   आ ā

: (सेला) = लम्बी ध्वनि, • (मितला) = नासिक्य व्यंजन सूचक, ’ (घेतला) = शब्दखण्ड सूचक, ~ (एवाँ) = नासिक्य स्वर सूचक, _ (रेवाँ) = लुप्ताकार र, I (हेचका) = विकारी अ

(हरह तोड़) = व्यंजन वर्ण (Consonants)

प् p	फ् ph	ब् b	भ् bh	म् m
त् t	थ् th	द् d	ध् dh	न् n
ट् ṭ	ठ् ṭh	ड् ḍ	ढ् ḍh	ण् ṇ
च् ch	छ् chh	ज् j	झ् jh	ञ् n̈
क् k	ख् kh	ग् g	घ् gh	ङ् ṅ
य् y	र् r	ल् l	व् w	ज़् ż
स् s	ह् h	ख़् x	ड़् ṛ	ढ़् ṛh

(लेक्खा) = संख्या, Numerals

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(ख़द्दर ही कत्थ लूर अरा कत्थ बेयाँख़ो) = बच्चों का भाषा ज्ञान और भाषा विज्ञान

(पा), (बा), (मा), (ता), (दा), (ना), (का), (गा), (जा),

(पपा) = रोटी, (बबा) = पिताजी, (ममा) = Cooked rice, भात।

(पल्ले) = दाँत, (बई) = मूँह, (मेलख़ा) = Epiglottis, उप कण्ठ।

(ततख़ा) = जीभ, (दुदु) = दूध, (नरटी) = Oesophagus, ग्रासिका।

ताःका एमसाःर’ई, पल्ले, बई, मेलख़ा, होलेम चींःख़नर ख़द्दर।

ततख़ा, दुदहिन, नरटी तरा नतगी होलेम उज्जनर ख़द्दर।।

3. कुँड़ुख़ हहस/कुँड़ुख़ भाषा की ध्वनियाँ (Kũṛux Phonemes)

1. कुँड़ुख़ कत्था ही मूली सरह (कुँड़ुख़ भाषा की मूल स्वर स्वर ध्वनियाँ / Primary Vowel) : -

बइता सरह (मौखिक स्वर, Oral Vowel)		मुँइता सरह (नासिक्य स्वर, Nasal Vowel)	
सन्नी सरह (हृस्व स्वर, Short Vowel)	दिगहा सरह (दीर्घ स्वर, Long Vowel)	सन्नी सरह (हृस्व स्वर, Short Vowel)	दिगहा सरह (दीर्घ स्वर, Long Vowel)
- इ, i	- इः i:	- इँ ĩ	- इँः ĩ:
- ए, e	- एः e:	- एँ ẽ	- एँः ẽ:
- उ, u	- उः u:	- उँ ũ	- उँः ũ:
- ओ, o	- ओः o:	- ओं õ	- ओंः õ:
- अ, a	- अः a:	- अँ ã	- अँः ã:
- आ, ā	- आः ā:	- आँ ā̃	- आँः ā̃:

2. कुँड़ुख़ कत्था ही जोट्ठा सरह (कुँड़ुख़ भाषा का संयुक्त स्वर / Diphthong) :–

जोट्ठा सरह – अइ, अउ, ऐ, औ इउ, उइ, अय, अव, अँइ, अँउ, ऐं, औं, इँउ, उँइ, अँय, अँव.

3. कुँड़ुख़ कत्था ही मूली हरह (कुँड़ुख़ भाषा की मूल व्यंजन ध्वनियाँ / Primary Consonant) -

अघोष / NonVoiced		सघोष / voiced		सघोष / voiced		अघोष/NonVoiced
मौखिक अल्पप्राण Non aspirated	मौखिक महाप्राण Aspirated	मौखिक अल्पप्राण Non aspirated	मौखिक महाप्राण Aspirated	नासिक्य अल्पप्राण Non aspirated	मौखिक अल्पप्राण Non aspirated	मौखिक अल्पप्राण Non aspirated
प्	फ्	ब्	भ्	म्	- -	- -
त्	थ्	द्	ध्	न्	य्	- -
ट्	ठ्	ड्	ढ्	ण्	र्	स्
च्	छ्	ज्	झ्	ञ्	ल्	ह्
क्	ख्	ग्	घ्	ङ्	व्	ख़्
- -	- -	ड़्	ढ़्	ञ़्	- -	- -

4. कुँड़ुख़ भाषा की तोलोंग सिकि का विकास एवं उराँव समाज

*संकलन – भुनेश्वर उराँव (शोधार्थी, टी. आर.एल.)

परिचय :– बचपन में, मैं (भूनेश्वर उराँव) अपने नाना–नानी के गांव में रह कर पढ़ाई आरंभ किया। उस गांव में जितने भी नाना–नानी रिस्ते वाले थे, वे मुझसे कुँड़ुख़ भाषा में ही बात किया करते थे। पढ़ाई के लिए मुझे एक गैरसरकारी ग्रामीण स्कूल में नामांकन कराया गया। वहाँ पहली बार वर्ष 1999 में, जब मैं चौथी कक्षा में था, सभी विषय के अतिरिक्त, उराँव (कुँड़ुख़) भाषा विषय भी पढ़ने का मौका मिला। ऐसा अवसर पाकर मैं उत्साहित हो उठा। उस गैर सरकारी प्राथमिक विद्यालय में ''कइलगा'' नामक प्राथमिक पुस्तक पढ़ाया जाता था। उसी समय से मेरी अभिरूची अपने मातृभाषा कुँड़ुख़ के प्रति जागृत हुई। तब से मैं तोलोङ सिकि सिखने लगा और पढ़ाई जारी रखा। मैट्रीक से एम०ए० तक की पढ़ाई में महसूस हुआ कि झारखण्ड में अनेक प्रकार की जातियों की संस्कृति एवं भाषाएँ हैं, परन्तु जिन भाषाओं की पढ़ाई विश्वविद्यालय स्तर तक नहीं होंगी, उसका विकास अवरूद्ध हो जाएगा। कुँड़ुख़ भाषा, झारखण्ड के अलावा छत्तीसगढ़, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ओड़िसा, दिल्ली, अंडमान– निकोबार तथा देष के बाहर नेपाल, भूटान, बंगलादेष तथा म्यांमर में भी बोली जाती हैं। देश की आजादी से पूर्व रोमन लिपि में तथा आजादी के बाद देवनागरी लिपि में कुँड़ुख भाषा संबंधी साहित्य रचना करने वाले कई साहित्यकार उभरे और अपनी रचनाओं को लोगों तक पहुंचाया।

वर्तमान में, कुँड़ुख़ भाषा साहित्य को अपने ही लेखन शैली में लिखने–पढ़ने के तरीके को स्थापित कराने में झारखण्ड के गुमला जिला के सिसई प्रखण्ड, ग्राम सैन्दा गाँव के निवासी तथा पेशे से चिकित्सक डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा' की भूमिका अग्रणी रही है। कहा जाता है – ''भाषा, संस्कृति का वाहक है तथा संस्कृति भाषा का पोषक'' यथा संस्कृति को बचाने के लिए भाषा को बचाना जरूरी है। इस प्रकार भाषा ही वह मूल स्तंभ है जिसके माध्यम से जनजातीय परम्पारिक सांस्कृतिक धरोहर एवं वौद्धिक सम्पदा को संरक्षित एवं सुरक्षित रखा जा सकता है। जनजातीय समाज द्वारा अपनी भाषा–संस्कृति को बचाने के लिए अधिक से अधिक प्रयास करने होंगे जिससे अपने इन धरोहरों एवं विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचा पाएँ। इसके लिए इन धरोहरों को वर्तमान शिक्षा पद्धति में स्थान दिलाना होगा और इन संसाधनों को स्कूली पाठ्यक्रमों में जोड़ना पड़ेगा तथा उसे अपने दैनिक जीवन के साथ जोड़ना होगा, तभी नई पीढ़ी इस ओर आगे बढ़ेगी।

सरकारी अधिसूचना और तोलोंग सिकि :– तोलोंग सिकि (लिपि) को कुँड़ुख़ (उराँव) समाज ने कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया है तथा झारखण्ड सरकार द्वारा भी इसे कुँड़ुख़ भाषा की लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। इस विषय पर कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के पत्रांक 129 दिनांक 18.09.2003 द्वारा कुँड़ुख़ (उराँव) भाषा की लिपि के रूप में अंगीकार करते हुए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किये जाने हेतु अनुशंसित किया गया है। साथ ही झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के विज्ञप्ति संख्या 17 / 2009 JAC / 20.02.2009 द्वारा 2009 सत्र में सर्वप्रथम कुँड़ुख़ कत्थ खोंड़हा लूरएड़पा लूरडिप्पा भगीटोली गुमला के छात्रों को मैट्रिक परीक्षा में कुँड़ुख़ भाषा विषय परीक्षा तोलोड. सिकि में लिखने की अनुमति दी गयी। उसके बाद झारखण्ड अधिविद्य परिषद् राँची के अधिसूचना संख्या – JAC / गुमला / 16095 / 12–0607 / 16 दिनांक 12.02.2016 द्वारा वर्ष 2016 से मैट्रिक में कुँड़ुख़ भाषा पत्र की परीक्षा तोलोङ सिकि (लिपि) में परीक्षा लिखने की अनुमति प्राप्त हुई तथा राँची विश्वविद्यालय राँची के अधिसूचना संख्या – B / 1236 / 16 दिनांक 26.09.2016 द्वारा जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष के देखरेख में एक विशेष सेल का गठन हुआ है जो संताली भाषा की लिपि – ओल चिकि, हो भाषा की लिपि – वराङ चिति तथा कुँड़ुख़ (उराँव) भाषा की लिपि – तोलोङ सिकि में पाठ्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करेगी। इस लिपि से पश्चिम बंगाल में भी वर्ष 2018 से सरकार द्वारा कुँड़ुख़ साहित्य प्रकाशित किया जा रहा है।

A. झारखण्ड अलग प्रांत आंदोलन और कुँड़ुख़ भाषा की लिपि की अवधारना :–

1 कुँड़ुख़ भाषा :– कुँड़ुख़ भाषा एक उतरी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है। लिंगविस्टक सर्वे ऑफ इंडिया 2011 के रिपोर्ट के अनुसार भारत देष में कुँड़ुख़ भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या 19,88,350 है। पर कुँड़ुख भाषी उराँव लोग अपनी जनसंख्या के बारे में बतलाते हैं कि पुरे विश्व में कुँड़ुख़ भाषी उराँव लोग 50 लाख के लगभग हैं। झारखण्ड में इस भाषा की पढ़ाई विश्वविद्यालयों में हो रही है। भारत में उराँव लोग विभिन्न राज्य तथा विदेषों में से नेपाल, भूटान बंगलादेश तथा म्यांमर आदि क्षेत्र में है।

2. नई लिपि के विकास की परिकल्पना :—

नई लिपि के विकास की परिकल्पना के बारे में डॉ. नारायण उराँव ने अपनी पुस्तक तोलोंग सिकि का उद्‌भव और विकास में कहा है कि वर्ष 1989 में अस्पताल में कार्य करते हुए उनकी नजर गर्भ—निरोधक गोली माला डी की पर्ची एवं 100 रूपये के नोट पर पड़ी। उसमें सभी सिडियूल लैंगवेज में एक ही बात को अलग—अलग तरीके से लिखा हुआ था। इसे देखकर उनके मन—मस्तिष्क में अपनी भाषा को लिखित रूप दिये जाने की परिकल्पना बलवती हुई। इसी दौरान उनके द्वारा लिखित छोटी सी पुस्तिका ''सरना समाज और उसका अस्तित्व'' वर्ष 1989 में छपी और झारखण्ड के आन्दोलनकारियों तक पहुँची। इस पुस्तिका में उद्धृत तथ्यों पर गौर करते हुए आन्दोलनकारी छात्र नेता एवं ऑल झारखण्ड स्टूडेन्टस यूनियन (आजसू) के तत्कालीन अध्यक्ष श्री विनोद कुमार भगत ने कहा — आप डॉक्टर बनकर समाज और देश की सेवा कीजिएगा साथ ही अपने परिवार का भी सेवा कीजिएगा। पर आदिवासी समाज की सेवा कौन करेगा ? हम आन्दोलनकारी, आन्दोलन में हैं समाज के सामने कई ज्वलंत प्रश्न है, जिसका उत्तर हम आन्दोलनकारियों के पास नहीं है। आदिवासी समाज को भाषा—संस्कृति के बचाव के लिए एक आधुनिक गुणों वाली लिपि की आवश्यकता है। समाज के लोगों को इसपर कार्य करना पड़ेगा।

इसी क्रम में 90 दषक के आरंभ में श्री विनोद कुमार भगत ने कहा — अगर कल को झारखण्ड राज्य मिलता है तो पूरी व्यवस्था वही रहेगी जो बिहार में है। अर्थात मंत्री से लेकर संतरी तक, ब्यूरोक्रेट से लेकर टेकनोक्रेट तक, सभी व्यवस्था पूर्वत होगी। तब आदिवासी समाज को क्या मिलेगा जो इस आन्दोलन में शामिल हैं ? पढ़े—लिखे लोग तो कहीं भी नौकरी या व्यापार कर लेंगे, पर गांव के लोगों को या अनपढ़ लोगों को क्या मिलेगा? इस प्रश्न के उत्तर में श्री भगत ने ही कहा कि — आदिवासी समाज के पास उनकी अपनी भाषा है, संस्कृति है, अपना रीति—रिवाज है। यदि हम इन धरोहरों को नहीं बचा पाये तो हमलोगों का यह आन्दोलन बेकार है। संस्कृति को बचाने के लिए भाषा को बचाना होगा और भाषा को बचाने के लिये इन भाषाओं की पढ़ाई—लिखाई स्कूल एवं कॉलेजों में करानी होगी और इसे रोजगार से जोड़ना होगा तभी भाषा—संस्कृति बचेगी। समाज एवं साहित्य में लगाव रखने वाले लोगों को भाषा के लिए एक नई लिपि विकसित करनी चाहिए। हमारा आन्दोलन एवं हम आन्दोलनकारी आदिवासी भाषा की लिपि विकास योजना में साथ है।

इस बातचीत के बाद डॉ. नारायण भी अपने साथियों के साथ लिपि विकास योजना में लग गये। नई लिपि विकासित करने हेतु कई तरीके तथा योजनाओं पर कार्य किया गया। नई लिपि को समाज तक लाने में अनेक बाधाएँ आयीं। उनमें से इन विन्दुओं पर लगातार विचार—विमर्श किया जाता रहा जैसे —

1. कलम के घुमाव की दिशा क्या हो? बायें से दायें हो या दायें से बायें या उपर से नीचे ?
2. लिपि चिन्हों का चुनाव किस प्रकार हो ? लिपि चिन्हों के चुनाव का आधार क्या हो?
3. वर्ण या अक्षर, sitting हो या suspending ?
4. लिपि चिन्ह Alphabetic (वर्णात्मक) हो या Syllablic (अक्षरात्मक) ?
5. अक्षर का नाम और ध्वनि मान देवनागरी की तरह एक हो या अंगरेजी तथा उर्दू की तरह अलग—अलग ? या फिर और कोई नया तरीका ?
6. संयुक्ताक्षर के लिए अलग से लिपि चिन्हक रखे जाएं या नहीं
7. लिपि चिन्हो्ं की संख्या कितनी हो? आदि .....आदि ......।

अंत में सामाजिक निर्णय के आधार पर — आदिवासी परम्परा, संस्कृति एवं ध्वनि विज्ञान के सिद्धांतों के आधार पर एक वर्णमाला तैयार किया गया। वर्णमाला के लिए —

(क) सर्वप्रथम मूल ध्वनियों का संकलन किया गया।

(ख) लिपि चिन्ह हेतु अलग—अलग संकेतों का संकलन किया गया। फिर .....

(ग) हिन्दी तथा अंगरेजी समझ की तरह उससे मिलता—जुलता वर्णमाला किया गया, सर्वप्रथम 1993 ई0 में समाज के लोगों के सामने प्रदर्शनी के लिए रखा गया।

3. लिपि का आरंभिक स्वरूप :—

कई वर्षों के कड़ी मेहनत के बाद एक वर्णमाला तैयार हुआ जिसे राँची कॉलेज, राँची के सभागार में हुए करम पूर्व संध्या समारोह 1993 में प्रदर्शनी हेतु रखा गया तथा लगातार कई संशोधन के साथ जनवरी 1994 में ''कुँड़ुख़ तोलोंग सिकि

अरा बक्क गढ़न'' नामक एक हस्त लिखित वर्णमाला पुस्तिका छपी। इसका लोकार्पण एवं प्रदर्शनी 18 से 24 फरवरी 1994 में हुए हिजला मेला दुमका में हुआ। इन प्रदर्शनियों में कई प्रश्न खड़े हुए और इन प्रश्नों के उत्तर ढूँढ़ने के लिए डॉ. नारायण उराँव कई भाषाविदों से मिले। इसी क्रम में वे 1996 में सेन्टरल इंस्टिच्यूट ऑफ इंडियन लैंगवेज, मैसूर (भारत सरकार) के प्रोफेसर डॉ० फ्रांसिस एक्का से पटना में मुलाकात कर उनसे दिशा निर्देश प्राप्त किये। डॉ0 एक्का द्वारा सुझाव दिया गया कि – ''डॉ. नारायण, IAP के सिद्धांत पर काम करें।'' परन्तु विज्ञान की भाषा को समझ पाना आसान बात नहीं था। डॉ० नारायण उराँव भी डॉ. एक्का के सुझाव पर कार्य करने में उलझ गए, पर उन्होंने संकल्प नहीं छोड़े और आगे बढ़ते गये।

इसी बीच उराँव समाज का परम्पारिक सामाजिक संगठन ''राजी पड़हा, भारत'' का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन 3–5 जनवरी 1997 को बम्भनडिहा, लोहरदगा में सम्पन्न हुआ। इस अधिवेषन में कुँडुख़ भाषा की लिपि विषय पर भी चर्चा हुई। इस परिचर्चा में ''कुँडुख़ तोलोंग सिकि अरा बक्क गढ़न'' प्राथमिक पुस्तिका के माध्यम से तोलोंग सिकि (लिपि) की प्रस्तुति को उपस्थित जनसमूह ने ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित किया, परन्तु राजी पड़हा देवान श्री भिखराम भगत जी ने तत्कालीन सांसद, लोहरदगा श्री इन्द्रनाथ भगत के साथ विचार–विमर्श कर कहा कि – जबतक कुँडुख़ भाषा का व्याकरण, नई लिपि अर्थात तोलोंग सिकि में समाज के सामने नहीं आयेगा तबतक इस नई लिपि को सामाजिक मान्यता दिये जाने में कठिनाई है। इसलिये लिपि के साथ इसका व्याकरण भी समाज के सामने लाया जाए। श्रद्धेय भिखराम भगत के इस वचन में नई लिपि के साथ उसका व्याकरण की बात युक्ति संगत रहा हो या फिर इस मुद्दे को यूनिवर्सिटी स्तर के विद्वतजनों के मार्ग दर्शन की बातें रही हों, पर समाज के अग्रणी सामाजिक चिंतकों ने अपनी जनभावनाओं को स्पष्ट किया, जो किसी नई लिपि की मान्यता के लिए आवष्यक समझा जाता है।

असहमति एवं सुझाव :– श्रद्धेय श्री भिखराम भगत जी, ''कुँडुख़ तोलोंग सिकि अरा बक्क गढ़न'' पुस्तिका के माध्यम से की गई प्रस्तुति से असहमत हुए और उन्होंने सुझाव दिया कि – कुँडुख़ खोंड़हा गे मण्डी गा ख़क्खरा, मुन्दा मण्डी संग्गे अमख़ी हूँ दरकार मनी, अवंगे अमख़ी हूँ ओन्दोरआ अर्थात लिपि के साथ उसका व्याकरण भी लाएँ, उसके बाद इन बातों पर आगे बात किया जाएगा।

सामाजिक संगठनों के उन बातों पर चर्चा–परिचर्चा करते हुए तथा भाषाविद् डॉ० फ्रांसिस एक्का के सुझाव में से कुछ ही तथ्यों को आधार लेकर एक नई पुस्तक लिखी गई, जिसका नाम है – ''ग्राफिक्स ऑफ तोलोंग सिकि''। इस पुस्तक का लोकर्पिण 05 मई 1997 में हुआ। वहाँ मुख्य अतिथि प्रभात खबर के मुख्य संपादक श्री हरिवंश जी थे तथा मुख्य वक्ता पूर्व कुलपति डॉ0 रामदयाल मुण्डा जी थे। श्री हरिवंश जी, जो वर्तमान में राज्यसभा के उपसभापति हैं ने कहा – सूचना प्राद्यौगिकी का आकलन है कि पूर्व में 16,000 भाषाएँ बोली जाती थीं जो घटकर 6,000 रह गई हैं। भाषा संरक्षण के लिए किया जाने वाला आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। परन्तु इस लोकार्पण समारोह के पूर्व वक्ता में से डॉ. बी.पी. केसरी का विचार भिन्न था। उन्होंने कहा – एखन दुनियाँ चांद में पोंहईच गेलक, लकिन ई जगन आदिवासी मन कबिला–कबिला कर बात करऽथँय। आदिवासी मन के देश कर मुख्यधारा से जुड़ेक चाही। इस अवसर पर मुख्य वक्ता डॉ. मुण्डा ने कहा – ''आदिवासी मन के देश कर मुख्यधारा संगे जुड़के चाही, संगे–संगे आपन पुस्तैनी विरासत के बचाएक और जोगाएक ले भी काम करेक चाही। कहल जाएला कि भारत देश फूल कर गुलदस्ता हय, जेकर में सउब रकम कर फूल हय। उ गुलदस्ता में आपन गुलैची आउर गेंदा फूल कोन ठिना हय, उखे खोजेक कर परयास ई किताब में करल हय। एखन कर बेरा में आदिवासी भाषा कर विकास ले एगो आपन समाज आउर संस्कृति आधारित लिपि होवेक जरूरी हय, आउर उ लिपि भाषा विज्ञान कर सिद्धांत लेखे होवे।''

असहमति एवं सुझाव :– डॉ. रामदयाल मुण्डा जी ''ग्राफिक्स ऑफ तोलोंग सिकि'' पुस्तिका के वर्णमाला क्रम से असहमत थे। इस पुस्तिका में वर्णमाला क्रम देवनागरी के सदृश था। इस क्रम पर डॉ. मुण्डा जी कथन था कि – ''यह जरूरी नहीं है कि आदिवासी भाषा के लिए जो लिपि निर्धारित हो वह देवनागरी के समान ही हो। आदिवासी भाषा की लिपि की वर्णमाला में आदिवासी समाज की सांस्कृतिक झलक दिखनी चाहिए और वह भाषा विज्ञान सम्मत हो।''

4. तोलोङ सिकि (लिपि) वर्णमाला का नवीन स्वरूप –

उक्त लोकार्पण समारोह में डॉ. मुण्डा जी के सुझाव के अनुरूप वर्णमाला निर्धारण हेतु उराँव, मुण्डा, खड़िया, हो, संताल आदि भाषा के तमाम विद्वानों की एक बैठक जून 1997 में सत्य भारती, राँची में हुई, जहाँ समाज सह सांस्कृतिक

आधारवाली तथा भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित वर्णमाला क्रम प्रस्ताव रखा गया, जिसे सर्व सहमति से उपस्थित सदस्यों ने पारित एवं स्वीकृत किया। उसके बाद कार्य आगे बढ़ने लगा और अवरोध घटता गया। फिर जनवरी 1998 में भाषाविद् डॉ0 एक्का राँची आये हुए थे। उन्होने डॉ0 रामदयाल मुण्डा डॉ0 निर्मल मिंज फादर प्रताप टोप्पो आदि को साथ लेकर डॉ0 एक्का से मिले। दो दिन विचार–विमर्श के बाद निर्णय हुआ – आदिवासी समाज को एक नई लिपि की आवश्यकता है। नई लिपि सामाजिक एवं सांस्कृतिक आधार वाली हो तथा तकनीकि संगत (कम्पटिबल) हो। इसके बाद लिपि विकास में शिक्षाविद् भी जुड़ने लगे और 15 मई 1999 को पूर्व कुलपति डॉ. रामदयाल मुण्डा एवं पूर्व कुलपति डॉ. इन्दु धान द्वारा संयुक्त रूप से तोलोंग सिकि लिपि को समाज के व्यवहार के लिए लोकार्पित किया गया। उसके बाद लोग समाज द्वारा संचालित विद्यालयों में पढ़ाई–लिखाई करने लगे।

तोलोंग सिकि वर्णमाला का नवीण स्वरूप अपने तरीके का अनोखा है। इसमें स्वर वर्ण – इ ए उ ओ अ आ क्रम में सजाया गया है। इस लिपि से कुँडुख़ बोलचाल के कुल 36 स्वर ध्वनि (मूल स्वर एवं संयुक्त स्वर) को 6 मूल स्वर चिन्ह एवं 6 सहायक चिन्ह के जरीये लिखा जाता है। इसी तरह वर्णमाला का व्यंजन वर्णक्रम प् फ् ब् भ् म्/त् थ् द् ध् न्/ट् ठ् ड् ढ् ण्/च् छ् ज् झ् ञ्/ क् ख् ग् घ् ङ्/य् र् ल् व् ञ़्/स् ह् ख़् ड़् ढ़् की तरह है। इनमें से कुल 35+1=36 (मूल व्यंजन 35 एवं व्यंजन अ़् 1) व्यंजन है। नवीन स्वरूप का वर्णमाला क्रम सामाजिक विज्ञान तथा भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। (देखें वर्णमाला चार्ट)।

डॉ० भोलानाथ तिवारी की पुस्तक ''भाषा विज्ञान'' में वैज्ञानिक लिपि के गुण पर चर्चा किया गया है :– विष्व की कोई भी लिपि सभी दृष्टियों से पूर्णतः वैज्ञानिक नहीं है, किन्तु पूर्णतः वैज्ञानिक लिपि की की कल्पना की जा सकती है और उसके मुख्य गुण गिनाये जा सकते हैं –

(1) वैज्ञानिक लिपि को वर्णात्मक होना चाहिए, आक्षरिक नहीं। अर्थात, उसके लिपि–चिह्न भाषा में प्रयुक्त हर व्यंजन एवं हर स्वर के लिए अलग–अलग होने चाहिए। उल्लेख है कि नागरी में क, ख, ग आदि व्यंजन चिह्नों में व्यंजन तथा स्वर मिले हुए हैं, अर्थात वह वर्णात्मक नहीं है, आक्षरिक है।

(2) लिपि में भाषा विशेष में प्रयुक्त हर ध्वनि (व्यंजन एवं स्वर) के लिए लिपि चिह्न होने चाहिए। न कम न अधिक। नागरी में दंतोष्ठ्य व के लिए लिपि चिह्न नहीं हैं।

(3) एक चिह्न से केवल एक ध्वनि व्यक्त होनी चाहिए, एकाधिक नहीं। नागरी में व – से कई ध्वनियाँ व्यक्त हैं।

(4) एक ध्वनि के लिए केवल एक लिपि चिह्न होनी चाहिए, एकाधिक नहीं। हिन्दी भाषा की दृष्टि से एक ही ध्वनि के लिए नागरी में रि – ऋ, ष – ष चिह्न हैं।

(5) लेखन एवं लिपि चिह्नों को उसी क्रम में आना चाहिए जिस क्रम में उसका उच्चारण किया जाता है।

(6) दो चिह्नों को एक पढ़े जाने का भ्रम नहीं होना चाहिए। नागरी में है, जैसे – घ–ध, म–भ, रा–ष, ख–रव तथा रा (र् आ) –रा (रा का आधा) आदि में। इसके अतिरिक्त लेखन, टंकन तथा मुद्रण आदि की व्यवहारिक दृष्टि से भी कई बातें कही जा सकती है।

5. तोलोंग सिकि का आधार :–

तोलोंग सिकि (लिपि) का आधार सामाजिक एवं सांस्कृतिक तथा पूर्वजों द्वारा संरक्षित प्रकृतिवादी सिद्धांत है। हवा का बवण्डर (बईरबण्डो) समुद्र का चक्रवात अधिकांश लताओं का चढ़ना आदि प्राकृतिक चीजें घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न होती है। प्रकृति के इन रहस्यों को आदिवासी पूर्वजों ने अपने जीवन में उतारा और जन्म से लेकर मृत्यु तक के अनुष्ठान घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न करने लगे। हल चलाना जता चलाना छिरका रोटी पकाना अभिवादन करना नृत्य करना चाःला अयंग थान का पूजा पद्धति, देबी अयंग थान का पूजा विधि, डण्डा कट्टना अनुष्ठान आदि क्रियाएँ घड़ी की विपरीत दिशा में सम्पन्न होती है। खगोलीय तथ्य है कि संसार में अधिक से अधिक प्राकृतिक घटनाएँ घड़ी की विपरीत दिषा में ही सम्पन्न होती है। ब्रह्मांड में पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर घड़ी की विपरीत दिषा में परिक्रमा किये जाने से प्रकृति के सभी क्रिया–कलाप इससे प्रभावित होती हैं। इन प्राकृतिक क्रिया–कलापों एवं सामाजिक सह सांस्कृतिक अवदानों को आदिवासी पोषाक तोलोङ की कलाकृति से जोड़कर भाषा विज्ञान के सिद्धांत पर यह लिपि स्थापित है।

तोलोङ सिकि एक वर्णात्मक लिपि है इसलिए कुँडुख़ भाषा जो एक योगात्मक भाषा है को लिखने में उसके योगात्मक उच्चारण के अनुसार लिखा एवं पढ़ा जाता है।

इसमें हलन्त का प्रयोग नहीं होता है। बोलचाल में कुँडुख़ को योगात्मक तरीके से खण्ड–ब–खण्ड उच्चरित किया जाता है। इस लिपि के अधिकतर वर्ण वर्तमान घड़ी के विपरीत दिशा (Anti Clockwise Direction) में व्यवस्थित है।

6. तोलोंग सिकि का गुण :–

उराँव समाज में बच्चा जब बोलना सीखता है तो उसे सबसे आसान एक आक्षरिक शब्द से सिखलाना आरंभ किया जाता है, उसके बाद द्विआक्षरिक आसान शब्द सिखलाया जाता है।

(i) बच्चे के लिए सबसे आसान प – ब – म आदि एक आक्षरिक षब्द है तथा पपा – बबा – ममा आदि द्विआक्षरिक आसान शब्द होता है। शिशु चिकित्सकों का मानना है कि बच्चा अपनी माँ का दूध पीते हुए अपने ओठ को मजबूत बना लेता है और ओठ के सटने से निकलने वाली ध्वनि प वर्गीय ध्वनि बच्चे के लिए आसान हो जाती है। उराँव समाज में बच्चे को भाषा सिखलाने के उदेश्य से वाल्यावस्था में रोटी को दिखाकर पपा बोलवाया जाता है तथा भात को दिखलाकर ममा बोलवाया जाता है। जबकि कुँडुख़ भाषा में रोटी को असमा तथा भात को मण्डी कहा जाता है। इन्हीं सब गुणों के चलते इस लिपि का वर्णमाला इ से तथा प से आंरभ हुआ है।

(ii) देवनागरी लिपि के वर्णमाला में से क्ष त्र ज्ञ श्र ष ष ऋ वर्ण के लिए अलग से लिपि चिन्ह नहीं हैं।

(iii) तोलोंग सिकि (लिपि) वर्णमाला में स्वर वर्ण के रूप में मूल 6 वर्ण हैं तथा वर्णमाला – इ ए उ ओ अ आ के क्रम में व्यवस्थित है। व्यंजन वर्ण प् – ब् – म् के क्रम में है।

(iv) तोलोंग सिकि से कम्प्यूटर टाइपिंग आसान है और हिन्दी से काफी कम Special Character कम है।

(v) तोलोङ सिकि एक वर्णात्मक लिपि है, इसलिए अक्षरात्मक लिपि की तुलना में इसे लिखने–पढ़ने तथा समझने–समझाने में आसानी होती है, जो भाषा विज्ञान सम्मत है।

(vi) तोलोङ सिकि में स्वर वर्ण के 6 मूल संकेत चिन्ह हैं तथा 6 सहायक चिन्ह हैं एवं व्यंजन वर्ण के कुल 35 चिन्ह हैं।

(vii) भाषा विज्ञान की दृष्टि से कुँडुख़ भाषा में 40 स्वर ध्वनि तथा 36 व्यंजन ध्वनि हैं।

(viii) कुँडुख़ भाषा की इन 40 + 36 = 76 ध्वनियों को 35 + 6 + 6 = 47 संकेत चिन्हों से लिखा जाता है। जैसा कि अंगरेजी बोलचाल की 44 ध्वनियों को 26 ध्वनि चिन्हों से लिखा जाता है। इसी तरह वैदिक संस्कृत के 132 स्वर ध्वनियों को लिखने के लिए 6 + 18 = 24 संकेत चिन्हों से तथा 37 व्यंजन ध्वनि को 37 संकेत चिन्हों से लिखा जाता है।

B. नया राज्य झारखण्ड और आदिवासी भाषा एवं लिपि :–

1. तोलोंग सिकि (लिपि) का कम्प्यूटर फॉन्ट केलितोलोंग का विकास –

इस कार्य में समाज के कई लोग आगे आये। वर्ष 2002 में कम्प्यूटर फॉन्ट विकसित किया जाना सचमुच बड़ी उपलब्धि है। इस कड़ी में झारखण्ड निवासी पेशे से पत्रकार श्री किसलय जी ने अपने लगन और जुनून से एक असंभव से कार्य को संभव किया और नवम्बर 2002 में प्रथम संस्करण निःशुल्क लोकार्पित किये। इसका परिष्कृत संस्करण 2017 में लोकार्पित हुआ। यह फॉन्ट का कीबोर्ड प्लानिंग डॉ. नारायण उराँव एवं किसलय जी ने मिलकर तय किया। फिर इसे यूजर्स के व्यवहार एवं समझ पर रिभाइज किये। लिपि चिन्हों के साथ यूजर्स के सलाह पर भी ध्यान दिया गया। इस फॉन्ट का नाम kellytolong है और यह फॉन्ट kurukhtimes.com एवं tolongsiki.com पर निःशुल्क उपलब्ध है। इस संबंध में किसलय जी की जुबानी कुँडुख़ पत्रिका बक्कहुही अंक 6 जनवरी–मार्च 2018 पढ़ें।

2. लिपि विकास को विद्यालय से जोड़ना तथा पढ़ाई–लिखाई में शामिल करना –

यह सबसे कठिन घड़ी थी। पर समाज के लोगों ने बढ़–चढ़ कर हिस्सा लिया और कारवाँ बढ़ता गया। कई लोग ग्रामीण स्तर पर छोटे–छोटे स्कूल चलाने लगे हैं। इनमें से एक नाम है – डॉ. जेफ्रेनियुस बखला उर्फ डॉ. एतवा उराँव जिन्होंने कुँडुख़–अंगरेजी मिडियम स्कूल आरंभ किया और वर्ष 2009 में वहाँ के छात्र कुँडुख़ भाषा विषय की परीक्षा तोलोंग सिकि लिपि में ही लिखे। इसी तरह सिसई (गुमला) थाना क्षेत्र में 5 – 7 गाँव के लोग मिलकर एक हाई स्कूल चला रहे हैं। यहाँ वे हिन्दी अंगरेजी और कुँडुख़ भाषा पढ़ाया जाता है। अब इन क्षेत्रों में एक होड़ लगी हुई है कि वे अपने बच्चों को भाषायी स्कूल भेजा करेंगे। परम्परिक पाठशाला धुमकुड़िया का पुनर्गठन किया जा रहा है। यहाँ बच्चे भाषा

संस्कृति के साथ लिखना–पढ़ना भी सीखते हैं। वैसे झारखण्ड के राँची विश्वविद्यालय राँची में बी.ए. एम.ए. एवं पीएच.डी. आदिवासी भाषा विषय में किये जा रहे हैं पर तोलोंग सिकि के विकास के संदर्भ में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग अबतक खामोश है। वैसे इस लिपि के विकास में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष डॉ. रामदयाल मुण्डा जी का योगदान अतुलनीय है। वर्तमान में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की चुप्पी चिंतणीय विषय है, पर हो सकता है वहां यू.जी.सी. के मार्ग दर्शन का इंतजार किया जा रहा हो। इधर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 आने वाले 2022 से आरंभ करने जा रही है, जिसके तहत 1 से 5 तक मातृभाषा के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा दिया जाना है। झारखण्ड सरकार ने 2022 से पांच आदिवासी भाषा (कुँड़ुख़, मुण्डा, खड़िया, हो, संताल) में मातृभाषा शिक्षा हेतु विद्यालयों का चयन तथा प्रशिक्षण कर लिया गया है।

3. तोलोंग सिकि से संबंधित पाठकों के लिए प्रकाशित पुस्तकें –

क) कइलगा (ब्रीज कोर्स के लिए) – प्रकाशक : सत्य भारती रांची।

ख) पुना चन्ददो (ब्रीज कोर्स के लिए) – झारखण्ड सरकार कल्याण विभाग।

ग) पुना तुड़ुल (ब्रीज कोर्स के लिए) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

घ) अयंग कोंयछा (ब्रीज कोर्स के लिए) – तकनीकी सहायता टी.सी.एस (टाटा स्टील फाउण्डेशन की ईकाई)

ङ) कुँड़ुख़ हहस अरा सिकिजुमा – प्रकाशक : सत्य भारती रांची।

च) कुँड़ुख़ कत्थअईन अरा पिंजसोर – प्रकाशक : सत्य भारती रांची।

छ) पुना बीनको (भाग 2 / देवनागरी एवं तोलोंग सिकि में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

ज) पुना बीनको (भाग 3 / देवनागरी एवं तोलोंग सिकि में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

झ) पुना बीनको (भाग 4 / देवनागरी एवं तोलोंग सिकि में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

ञ) पुना बीनको (भाग 5 / देवनागरी एवं तोलोंग सिकि में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

ट) सेन्दरा चन्ददो (कक्षा 8 के लिए/ देवनागरी एवं तोलोंग सिकि में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

ठ) फग्गू चन्ददो (कक्षा 9, देवनागरी में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा, राँची।

(ड) ख़द्दी चन्ददो (कक्षा 10 देवनागरी में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

ढ) ईन्नलता कुँड़ुख कत्थअईन – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा, रांची।

ण) ख़द्दी चन्ददो (कक्षा 10 तोलोंग सिकि में) – प्रकाशक : झारखण्ड झरोखा रांची।

(त) चींचो डण्डी अरा ख़ीरी (देवनागरी एवं तोलोंग सिकि में) – तकनीकी सहायक : टी.सी.एस. (टाटा स्टील फाण्उडेशन की ईकाई)।

थ) तोलोंग सिकि का उद्‌भव एवं विकास – प्रकाशक : नव झारखण्ड प्रकाशन, राँची।

4. कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि की पढ़ाई इन विद्यालयों में हो रही है –

क) कुँड़ुख़ कत्थ खोंड़हा लूरएड़पा लूरडिप्पा भगीटोली डुमरी गुमला।

ख) जतरा टाना भगत विद्या मंदिर बिशुनपुर घाघरा गुमला।

ग) कार्तिक उरांव आदिवासी बाल विकास विद्यालय रातू रांची।

घ) कार्तिक उरांव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय मंगलो सिसई गुमला।

ङ) कार्तिक उराँव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय छारदा सिसई गुमला।

च) कार्तिक उराँव आदिवासी कुँड़ुख़ विद्यालय, निजमा, गुमला।

छ) बुधूबीर लूरकुड़िया, मेरले, किसको, लोहरदगा।

ज) बीर बुधू भगत कुँड़ुख़ लूरकुड़िया, सैन्दा, सिसई गुमला।

झ) प्रस्तावित कुँड़ुख लूरकुड़िया, शिवनाथपुर, सिसई, गुमला।

ञ) सात पड़हा कुँड़ुख़ लूरकुड़िया, पलमी, भंडरा लोहरदगा।

ट) कार्तिक उराँव लूरकुड़िया, जोंजरो नामनगर, कुडु लोहरदगा

ठ) जय सरना लूरकुड़िया, देवाकी, घाघरा, गुमला।

ड) अयंग शिक्षा निकेतन, गुड़गुड़जाड़ी, माण्डर, राँची।

ढ) जोहार विद्या विद्यालय, झटनी टोली, सिसई गुमला।

ण) लिटिबीर कुँड़ुख़ एकेडमी, पुटो–तिलसिरी, घाघरा, गुमला।

त) बी.के.इंडिज्नस एकेडमी ओप्पा कुडु चान्हो लोहरदगा।

5. वर्तमान समय की नई लिपि को लोकप्रिय बनाने हेतु आवश्यक उपाय : –

(क) कुँड़ुख़ भाषी क्षेत्रों में 1–12 तक त्रिभाषा फॉरमुला पर कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोङ सिकि स्कूल पाठ्क्रम में शामिल किया जाना चाहिए। साथ ही शिक्षकों की बहाली एवं प्रशिक्षण हो तथा पाठ्य पुस्तक छपवा कर वितरण हो। राज्य सरकार इन कार्यों में मदद करे।

(ख) विश्वविद्यालय स्तर पर कुँड़ुख़ भाषा की पढ़ाई के पाठ्क्रम में तोलोङ सिकि लिपि भी शामिल हो तथा अग्रेतर शोध प्रबंध हो।

(ग) मासिक पत्रिका का प्रकाशन हो तथा छोटी–छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्में बने। राज्य सरकार इसमें मदद करे।

(घ) जल्द ही यूनिकोड विकसित हो जिससे उपयोक्ता अपनी भाषा को अपने मोबाइल में व्यवहार कर सकें। सरकार इन कार्यों को प्रोत्साहित करे।

(ङ) वेब वर्जन पर कार्य हो। इस कार्य में सरकार मदद करे। अबतक सामाजिक प्रयास से kurukhtimes.com नामक वेब पत्रिका, 2 वर्ष से चलाया जा रहा है तथा tolongsiki.com नामक वेबसाइट उपयोक्ताओं के लिए उपलब्ध है।

संदर्भ ग्रंथ :–

1. डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा' – तोलोंग सिकि का उद्भव एवं विकास। (2003)
2. डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा' – कुँड़ुख़ कत्थ अईन अरा पिंजसोर (2011)
3. डॉ॰ भोलानाथ तिवारी – 'भाषा–विज्ञान', पुर्नमुद्रण (2018), पृष्ठ 493 –494.
4. डॉ॰ नारायण भगत एवं डॉ॰ नारायण उराँव 'सैन्दा' – ईन्नलता कुँड़ुख़ कत्थअईन। (2018)
5. कुँड़ुख़ त्रैमासिक पत्रिका – बक्कहुही। (नवम्बर–दिसम्बर 2016), पृष्ठ 4, 6 एव ं 34.
6. कुँड़ुख़ त्रैमासिक पत्रिका – बक्कहुही। (अंक 2, जनवरी–मार्च 2017), पृष्ठ 13 और 35.
7. कुँड़ुख़ त्रैमासिक पत्रिका – बक्कहुही। (अंक 3, अप्रैल–जनू 2017), पृष्ठ 03–05 एवं 24–25.
8. कुँड़ुख़ त्रैमासिक पत्रिका – बक्कहुही। (अंक 5, अक्टुबर –दिसम्बर 2017), पृष्ठ 11–14 एवं 35.
9. कुँड़ुख़ त्रैमासिक पत्रिका – बक्कहुही। (अंक 6, जनवरी –मार्च 2018), पृष्ठ 03 – 04 एवं 32 –34.
10. कुँड़ुख़ टाइम्स वेब वर्जन पत्रिका का त्रैमासिक मुद्रित संस्करण, अंक 1 एवं 2. (2021–2022)
11. वेब www.tolongsiki.com
12. वेब https://kurukhtimes.com?

* संकलन – शोधार्थी, कुँड़ुख़ (टी.आर.एल.)
राँची विश्वविद्यालय राँची।
मो॰न॰ – 9931202070

लेखक बनें और पाठक बनाएं :–

यह कुडुख टाइम्स डॉट कॉम वेब पत्रिका नये लेखकों एवं विचारकों के लिए समर्पित है। यह पत्रिका तोलोंङ सिकि (लिपि) के विकास हेतु समर्पित है। आप अपना बहुमूल्य समय और विचार इस पत्रिका के माध्यम से जनसाधारण तक पहुंचा सकते हैं। आपकी लेखनी आदिवासी समाज के लिए व्यर्थ नहीं होगी। अभी जरूरत है आप जैसे चिंतकों और लेखकों का परम्परागत आदिवासी समाज को जरूरत है।

– कुडुख टाइम्स डॉट कॉम
उप संपादक

5. पारम्परिक उराँव (कुँड़ुख) समाज की सांस्कृतिक एवं अध्यात्मिक विरासत

– डॉ० नारायण उराँव 'सैन्दा'

साधारणतया, लोग कहा करते हैं – आदिवासियों का कोई धर्म नहीं है। इनका कोई आध्यात्मिक चिंतन नहीं है। इनका विश्वास एवं धर्म अपरिभाषित है। ये पेड़–पोधों की पूजा करते हैं .... आदि, आदि। इस तरह के प्रश्नों एवं शंकाओं को प्रोत्साहित करने वालों से अगर पूछा जाय – क्या, वे अपने विश्वास, धर्म आदि के बारे में जानते और समझते हैं? यदि इस तरह के प्रश्न करने वाले सचमुच अपने विश्वास, धर्म के बारे में जानते हैं, तो उनके द्वारा आदिवासियों के बारे में इस तरह के लांछण लगाये जाने का औचित्य नहीं है और यदि उन्हें अपने बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते है तो उन्हें समझाया जाना भी आसान नहीं है।

वैसे अध्यात्म एक गूढ़ विषय है जिसकी गहराई तक कुछ ही लोग पहुँच पाते हैं। मुझे अध्यात्म जैसे गूढ़ विषय पर तनिक भी पकड़ नहीं है फिर भी प्रस्तुत शीर्षक के माध्यम से आदिवासियों पर हो रहे बौद्धिक और वैचारिक अवमूल्यन के प्रति लोगों का ध्यान आकृषाट करने का मेरा छोटा सा प्रयास है। ध्यातव्य हो कि आदिवासी परम्परा में भी अध्यात्म की सारी बातें थीं और हैं, किन्तु सरसरी नजर से देखने पर पेड़–पौधे नजर आयेगें। अध्यात्मिक अवधारना में सबसे अधिक जरूरी है ईष्वर की परिकल्पना एवं मान्यता। दूसरा महत्वपूर्ण अवयव है आत्मा या अन्तर्रात्मा। विद्वत्तजनों का कहना है कि आत्मा का परमात्मा के साथ आत्मिक संबंध जोड़ना ही अध्यात्मिकता का सार है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रश्न उठता है – क्या, आदिवासी विष्वास, धर्म में ईश्वर की परिकल्पना है अथवा नहीं ? उसी तरह आत्मा के संबंध में आदिवासियों की मान्यता किस प्रकार है ? इन तथ्यों को समझने के लिए परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) आदिवासी समाज में प्रचलित अनुष्ठानों एवं अवधारनाओं पर गौर किया जाना चाहिए तथा कुँड़ुख़ (उराँव) भाषा की निम्नांकित शब्दावली पर मनन–चिंतन किया जाना चाहिए :–

1. **धरमे ([illegible])** :– एका सवंग सँवसेन धर'ई आ:दिम धरमे अरा एका सवंग धरना जो:गे रअ़ई आ:दिम धरमे अर्थात वह शक्ति जो समस्त सृष्टि को संचालित करती है तथा वह शक्ति जो अनुकरण करने योग्य है, कुँड़ुख़ में धरमे (ईश्वर) का यही अर्थ है। धरमे बि'ई। धर (धरना)+मे (मे:न)।
2. **धरती अयंग ([illegible])** : धरती अयंग। धरती अयंग बि'ई। धरती माता।
3. **धरमी सवंग ([illegible])** :– धरमे सवंग तरती चाजरका नेम्हा सवंग। धरमी सवंग बि'ई।
4. **सँवसिरा ([illegible])** :– सँवसे + सिरा = सँवसिरा (प्रकृति)। सँवसे = समस्त, सिरा = उद्‌गम स्थल। ख़ज्ज अरा ख़े:ख़ेल नु तंगआ ती सिरजारना दरा ख़ो:रना सवंग अड्‌डा। ई ख़ज्ज अरा ख़े:ख़ेल (सृजन का मूल श्रोत अर्थात सृजन करने वाली धरतीं एवं उसके अवयव) नु सिरिजतारना अरा सिरिजताअ़ना सवंग अड्‌डा। चिच्च, चें:च, ता:का, धरती, अकास उरमी सवंग सिरिजतु'उ सवंग गही सिरिजताअ़ना सवंग तली। वह जो मानव द्वारा निर्मित न हो। प्राकृतिक, nature, natural.
5. **मय्‌हदेव ([illegible])** :– मया ननु (मया–दया करने वाला) देव, मय्‌याँ ता देव (उपर वाला दैवीय शक्ति) मय्‌हा (दयालु) देव। मय्‌हदेव्‌स बेअ़दस। वेदों में महादेव शब्द नहीं है।
6. **परबईत ([illegible])** :– परबस्ती ननु (पालन–पोषण करने वाली) मया (माया)। परबईत बी'ई।
7. **चन्ददो–बीःड़ी ([illegible])** :– प्रकृति में सूर्य, उर्जा एवं प्रकाश का शाश्वत श्रोत है।
8. **करम देव ([illegible])** :– करम पूजा में, करम के देव स्वरूप की पूजा होती है। कहीं भी हे करम पेड़ या करम डाली कहकर पूजा नहीं होती है। करम देव या करम राजा कहकर पूजा होती है। नाम के जाप में शक्ति स्वरूप का आह्‌वान किया जाता है।
9. **चा:ला अयंग ([illegible])** – चाल चिअ़उ अयंग। सरहुल के दिन पेड़ की छाया में, चारो दिशा में रूख कर पूजा होती है किन्तु आह्वान् एवं मंत्रोचारण में किसी पेड़ के नाम से पूजा नहीं होती है। वहाँ पर धरमे एवं धरमी सवंग अर्थात ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियों की पूजा होती है।
10. **देबी अयंग ([illegible])** :– दव ननु मे:द मलका मुक्का छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग (बिना देहधारी, महिला रूप में अच्छाई करने वाली शक्ति स्वरूपा)। देवाँ बि'ई। देवाँ+बी'ई = देबी। देबीगुड़ी = देबी सवंग गुँडुरका अड्‌डा। देवाँ = good spirit (in HO Language also)
11. **पुरखा–पचबल ([illegible])** :– पांच पीढ़ी तक के पूर्वज। कुँड़ुख़ परम्परा में मृत्यु के पश्चात्

शरीर को दफनाया/जलाया जाता है तथा मृतक की आत्मा को एःख़ मंक्खना (छाया भितराना) अनुष्ठान कर घर में स्थान दिया जाता है तथा उस आत्मा को पूर्वजों की आत्मा के साथ सम्मिलित होने या उस मृतक की आत्मा के लिए पूर्वजों के नाम पर अनुष्ठान किया जाता है। साथ ही विभिन्न अवसरों पर उनके नाम से तर्पन एवं भोग दिया जाता है। उराँव लोगों की मान्यता है कि ईश्वर एवं उनके पूर्वज हमेशा उनकी मदद एवं देखभाल करते हैं।

12. **जिया ([illegible]) (हाँस)** :– आत्मा, अन्तर्रात्मा। जिया दिम उंग्गी अरा जिया दिम पुल्ली। कुँडुख़ परम्परा में धरमे सवंग (सर्वशक्तिमान ईष्वर) एवं जिया सवंग (अन्तर्रात्मा) सिर्फ इन्ही दो तत्वों को उंग्गु सवंग अथवा सामर्थ्यवान कहा गया है।

13. **देव ([illegible])** :– दव ननु मेःद मलका आल मलता आःलो छाव नु संगरा चिअ़उ सवंग (बिना देह–शरीर के मानव या मानवेतर रूप में अच्छाई करने वाली षक्ति)।

14. **नाद ([illegible])** :– नंद'उ मलता नंदना ननु सवंग (विनाश करने वाला या कष्ट देने वाला)। कुँडुख़ जीवन में कुछ लोग अपने हिस्से की सम्पत्ति से अधिक सम्पत्ति और ताकत अर्जित करने के लिए जीवात्मा या भटकती हुई आत्मा की साधना कर अपने वंश में करते हैं तथा दूसरे को दुख पहुँचाने में उस नाद की मदद लेते हैं।

15. **पद्दा ([illegible])** :– गाँव। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा पँचेती :– ग्रामसभा। एकअम आःलर ही पाःदा अड्डा दिम पद्दा तली। पद्दा–पल्ली, पद्दा–पाट।

16. **एड़पा ([illegible])** :– घर। एकदद तंगहय उला एड़'ई अरा ओहारी ननी। लूरएड़पा :– लूर गे ईड़'उ एड़पा। मूली–एड़पा, मण्डी–एड़पा, कोठा–एड़पा, खुपी–एड़पा, जोंःख़–एड़पा, पेल्लो–एड़पा।

17. **अखड़ा ([illegible])** :– अख़ना + खटना + अड्डा (अख़आ गे खटना अड्डा/ज्ञान के लिए श्रम स्थल तथा निर्णय करने का स्थल)।

18. **धुमकुड़िया ([illegible])** :– धुम–ताअ़ कुड़िया, धुम–धुम कुड़िया। धुम–ताअ़ नलना बेःचना अख़ना अड्डा (एक बुजुर्ग अपने नाती–पोते से बोला करते हैं, गुचा नतिया धुम–ताअ़ बेःचा। अर्थात बचपन में अनुशासित तरीके से खेल–खेल में जीवन जीने का तरीका सीखना और सिखलाना), कुड़िया का अर्थ छोटा घर या केन्द्र अथवा सेन्टर। अभी भी गांव में जब लड़के–लड़कियाँ अच्छे से नाच–गान करते हैं तो बुजुर्ग बोला करते हैं – इन्ना गा जोंःख़र–पेल्लर अकय दःव बिच्चयर, धुम–धुम ख़रखा लगिया। इसी तरह लड़के–लड़कियाँ जब मौसम के अनुरूप नाच–गान नहीं करते हैं तो बुजुर्ग वर्जना करते हैं – नीःम जोंःख़र–पेल्लर दःव मल बेःचा लगदर, धम्म–धुम्म ख़रखा लगी। धुमकुड़िया का अर्थ धुमसाःरना कुड़िया है अर्थात वैसा केन्द्र जहाँ से लोग विशिष्ट युवा के रूप में तैयार होकर निकलें।

19. **पड़हा ([illegible])** :– पड़ा (गाँव का समूह क्षेत्र) नु पाःड़ा अरा पड़ा नुम पड़गरआ। पड़हा का कार्य खून एवं वंश की शुद्धता बनाये रखना एवं सुरक्षा करना रहा है।

20. **बिसुसेन्दरा ([illegible])** – बसा नना गे सेन्दरा। परम्परागत उराँव (कुडुख़) समाज में प्रत्येक वर्ष बईसाक में बिसुसेन्दरा हुआ करता था, जहाँ समाज का विधान एवं दण्ड का निर्णय होता था।

21. **कुड़ुख़ ([illegible])** :– कुड़ना + अख़ना ती कुड़ुख़ मंज्जा। (ओःरे नु कुड़ना–मोःख़ना अख़'उर, कुड़ख़र बाःतारर अरा आःरिम नन्नारिन हूँ सिखाबाःचर। कुड़ना–मोःख़ना अख़कत ख़ने कुँड़ख़त, कुड़ना–मोःख़ना अक्खर ख़ने कुँड़ख़र, कुड़ना–मोःख़ना अख़कन ख़ने कुँड़ख़न, कुड़ना–मोःख़ना अख़कम ख़ने कुँड़ख़म, कुड़ना–मोःख़ना अख़कय ख़ने कुँड़ख़य। (आदिकाल में किसी जंगल में सूखे बाँस के आपसी घर्षण से चीं ..... चीं .... चीं .... चीं ... की आवाज निकलते–निकलते जो अद्भूद दृश्य (दावानल) नजर आया वह कुडुख़ भाषा में चीं .. चीं .. से चिच्च (अग्नि) कहलाया और जो अवशेष बचा वह चिन्द (राख) कहलाया। वह चिच्च से पूरा जंगल जलने लगा और पशु–पक्षी मरने लगे। चीं .. चीं .. से चिच्च कहने वाले लोग उन अधजले मांस को खाये और बाद में जानवरों के कच्चे मांस को आग में सेंककर खाने की विधि की खोज की तथा दूसरे समूह को भी सिखलाया। इस समूह द्वारा आग एवं आग में सेंककर खाने की विधि की खोज ने पूरे मानव समाज के जीने का तरीका बदल दिया और उनकी भाषा में वे कुड़ा अख़'उ यथा कुड़ा मोःख़ा अख़'उ से कुडुख़ कहलाये। आषय है, कुडुख़ पुरखे, आग एवं आग में कच्चे मांस को सेंक कर खाने की विधि की खोज किये और उन्हीं के द्वारा दूसरे लोगों तक पहूँचा। इस तथ्य को व्यवहार में रखने हेतु कुँड़ख़ पुरखों ने डण्डा कट्टना अनुष्ठान में ईश्वर के नाम से समर्पित चढ़ावे यानि अण्डा को आग में तपाकर (अतख़ा नु कुड़अर) उपस्थित पुरूषों के लिए प्रसाद स्वरूप वितरण किया जाता है, तत्पश्चात ही पूजा संपन्न होता

है।) अर्थात कुँड़ुख़ पूर्वजों ने ही अग्नि की खोज की और कच्चे मांस को पकाकर खाने सीखा तथा दूसरों को भी सिखलाया।

22. **उराँव (ꭶꮧꮭꮈ)** :– उयुर (हल चलाकर खेती करने वाले) + आँवा (घेराबंदी करके आग से जलाकर संजगी अथवा खेत तैयार किया जाना) – उराँव (हल चलाने वाले तथा घेराबंदी कर आग से जलाकर खेत तैयार करने वाले), उयुर गही गण – उरागण – उरागण ठकुर (उराँव राजघराना)। उर + आँव = उराँव – उरबस गही आँवा ती बछरका आःलर (ईष्वर की अग्नि वर्षा से बचे हुए लोग)।

23. **ओल्लगी (ꭷꮈꮈꮹꮑ)** :– ओंग्गना उलता अरा ओलता सवंगन लग्गना। कुँड़ुख़ संस्कृति में अभिवादन करते समय दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाते हुए ओ'लगी कहा जाता है या बाँया हाथ से दाहिना हाथ को केहुनि से थोड़ा नीचे स्पर्ष करते हुए दाहिना हाथ को उठाकर शीश नवाते हुए ओ'ल्लगी कहा जाता है। ओलगी का शाब्दिक अर्थ ओंग्गनन लग्गना अर्थात सामने वाले व्यक्ति के अन्दर के सामर्थ्यवान को नमन करना। कुँड़ुख़ अध्यात्म एवं विश्वास में उंग्गु सवंग दो शक्ति को माना गया है – 1. धरमे सवंग (सर्वशक्तिमान) 2. जिया सवंग (अन्तर्रात्मा)। अभिवादन करते समय सामने वाले व्यक्ति के अन्तर्रात्मा को नमन किया जाता है।

24. **साःरना (ꮎꮁ:ꮧꮻꮁ)** :– एम्मबा साःरना, कीःड़ा साःरना, उम्हें साःरना – महसूस करना, आत्मसात करना, to feel & realised, to relate इत्यादि।

25. **सरना (ꮎꮧꮻꮁ)** :– स + र + न + आ । 'सिरजनन रम्फ ननु आःलोन साःरना दिम सरना।' सरनन साःरना दिम सरना। साःरना = महसूस करना, अनुभूति, to feel & realise.

सरना = सर + ना। सरना गही 'सर' बक्कमूली ही माने हिन्दी नु गतिमान अरा अंगरेजी नु Mobility मनी। कुँड़ुख़ नु नलख सरना गही माने एकअम छेका–छछंद (विग्घन–बाधा) मझी नु हूँ आ नलख ही बेड़ा सिरे मुंजुरना अख़तार'ई। ई लेखा ई सँवसिरा (प्रकृति) नु सिरिजारका उरमी दिम तंगआ डींड़ ताँड़का बेसे तंगआ बेड़ा अरा उल्ला खेप'ई। इस तरह जहाँ गति है वहाँ जीवन है और जहाँ जीवन है वहाँ गति है। ख़द्दी उल्ला चाःला टोंका नु पुजा–धजा ननना अरा मनना नु पद्दा सिञा ता उरमी आल–आःलो ही दव कुना उज्जा–बिज्जा अरा उल्ला खेपआ गे ओहरा–बिनती ननतार'ई। इदी गे धरमे अरा धरमी सवंग ती गोहरारना मनी का तंगआ पद्दा सिञा ता सँवसे सिरजन–बिरजन दव कुना उल्ला खेपअन नेकआ अरा मलदव आःलो पददा सिञा तरा अम्मबन कोरअन नेकआ। ई सँवसिरा नु ख़ेख़ेल, मेरख़ा, ताःका, चिच्च, चेंःप (पृथ्वी, आकाश, हवा, अग्नि, पानी) उरमी दिम सवंग बि'ई। अर्थात सरना मात्र पूजा स्थल भर नहीं, बल्कि सरना एक परम्परागत आदिवासी जीवन पद्धति का सारांश है। पेड़–पौधा, जंगल–पहाड़ इत्यादि आदिवासी जीवन में एक गुरू एवं आराध्य का प्रतीक है। 'सरना आदिवासी धरम' का यही कुँड़ुख़ मूलमंत्र है।

झारखण्ड के आष्ट्रिक मुण्डारी भाषा परिवार के अनुसार सरना शब्द का संबंध सारजोम से है। सरना समाज में सरना और सारजोम का संबंध अटूट है। सरना समाज, सारजोम को त्यागते ही अपने पथ से भटक जाता है। सारजोम को आस्था का केन्द्र बनाया जाना दूसरे धर्म में नहीं है।

26 **सँवसर (ꮎꮈꮎꮧ)** :– सँवसे + सर = सँवसर। सँवसे = समस्त, सर = गतिमान, प्राकृतिक। किसी भी स्थापित धार्मिक आस्था का प्रतिनिधित्व नहीं करने वालों के लिए यह शब्द का प्रयोग हुआ है। आदिवासी समाज में खाषकर कुँड़ुख़ समाज में सर = गतिमान अथवा प्रकृति के अर्थ में सर से सरना या सर से सरहुल शब्द का प्रचलन, व्यापक हुआ है। माँ के कोख से जन्म लेने के बाद बप्तिस्मा लेकर ईसाई हुआ जाता है। इसी तरह ईस्लाम को मानने के लिए अल्लाह, कुरआन शरीफ और पैगम्बर मोहम्मद को कबूल करना पड़ता है। इसी तरह हिन्दु कहलाने के लिए ब्राह्मणवादी व्यवस्था तथा जीवन शैली को स्वीकार करना पड़ता है। पर सँवसर कहलाने वाले वैसे लोगों का समूह है जो जन्म से ही, अपनी प्राकृतिक दशा में हों।

27. **धरमे, धरती अयंग अरा धरमी सवंग (ꮿꮧꮹꮩ, ꮿꮩꮑ ꭵꮈ ꮧꮁ ꮿꮧꮹꮑ ꮎꮧꮈ)** :– सर्वशक्तिमान ईश्वर, धरती माता (प्रकृति) एवं ईश्वरीय प्रेरणा श्रोतक शक्तियाँ (दृश्य–अदृश्य शक्तियाँ) आदि को त्रिशक्ति को आधार मानकर, आह्वान किया जाता है।

28. **बेंज्जा (ꮹꮩꮑꮻꮁ)** :– बन्दा बेसे बांजरना गे इंजिरना दिम बेंज्जा बि'ई। बिंज्जुर'उर + बिंज्जुर = बेंज्जा।

बेंज्जा के प्रकार – (i) मड़वा (मरजईद) बेंज्जा (ii) अतखा–पण्डी बेंज्जा (iii) संगहा (सगई) बेंज्जा (iv) पड़हा / सोहाडी (ढुकु) बेंज्जा (v) अनजतिया बेंज्जा (vi) Special marriage Act / कोर्ट बेंज्जा।

29. **बेंन्ज़ा अम्बता ([illegible])** :– बेंज्जा (बेंजेरना, विवाह करना) + अम्बता (अम्बतअना, त्यागने का प्रक्रिया करना) = तलाक (विवाह विच्छेद)। बेंजेरना (विवाह करना). + अम्बतअना (त्यागने की प्रक्रिया करना)।

30. **बिहउड़ी ([illegible])** :– बिंज्जुर गही हउड़ी = बिहउड़ी । बिंज्जुर = शादी करवाने वाले। हउड़ी = हउड़ाअ़ना ती हउड़ी मंज्जकी बि'ई। अर्थात शादी करवाने वालों द्वारा खोज–खब़र लेना। बेंज्जा एक पारिवारिक एवं सामाजिक रिस्ता है। किसी परिवार का शादी विच्छेद होने से सामाजिक जिम्मेदारी भी आहत होती है, इसलिए शिकायत होने पर समाज के लोग (शादी में भागीदार हुए लोग) खोज–खबर लेते हैं अर्थात हउड़ी करते हैं।

31. **कोंयछंदा ([illegible])** :– कोंयछंदा ख़द्द = कोंयछा नु छंदचका ख़द्द। कोंयछा का अर्थ माँ के आंचल का थैला), छंदा (छंदचका), कोंयछंदा ख़द्द (गोद लिया हुआ बच्चा)।

32. **उरागन ([illegible])** : उयुर गही गन। खेती–किसानी करने वाले समान विचार वालों का समूह। रूईदास गढे नु कुँड़ख़र उरागन ठकुर हूँ बातारआ लगियर। मुण्डा समाज ही पुरखौती बेवस्था नु मानकी, मुण्डा, पाँड़े, ठकुर बअ़अर पदवी चितारकी र'ई। मना उंग्गी का राःजी चलाबअ़ना ती ठकुर धतम हिन्दी ता ठाकुर बेसे मंज्जा केरा होतंग। रूईदास नु गा कुँड़ख़र गही बेलजद्दी रहचा। अवंगेम कुँड़ख़र उराँव अरा उरागन ठकुर हूँ बातारर।

33. **डलीढिबा ([illegible])** – डँड़ियाःचका ढिबा। डली ढिबा, वधु मुल्य नहीं है। इसे वधु मूल्य या Bride Price न समझा जाय। कोहाँ पाःही के अवसर पर मयसरी और डली ढिबा तय होता है। यह Ceremonial Gift अथवा उपहार है। डली फड़ियाअ़ना कार्य परिवार के लोग नहीं करते हैं, यह सामाजिक प्रथा है।

34. **मयसरी ([illegible])** – मया (ममता) + सरी (प्रतीक, प्रतिनिधि) = ममता का प्रतीक भेंट या उपहार। कुछ लोग सादरी/नागपुरी बोलते हुए में मायसारी शब्द माय की साड़ी कहने लगते हैं, जो कुँडुख़ भाषा के अनुसार नहीं है। सादरी/नागपुरी में बेंज्जा के लिए शादी शब्द का प्रयोग होता है, जबकि शादी शब्द को अरबी मूल का माना गया है।

35. **ठकुर ([illegible])** : ठकुर बक्क, हिन्दी बक्क मल्ली। कुँडुख़ नु ठउकम, ठउकाअ़ना, ठउक'उर बक्क र'ई। अन्नेम ठोक'उर, ठोकना गुट्ठी बक्क गही बेहवार मनी। ई लेखे उरागन ठकुर बक्क गही मने सलाहकार एवं सिपाही या सेनापति का कार्य करने वाला रहा हो। रूईदास गढ़ के इतिहास में उराँव लोगों के साथ एक शब्द जुड़ता है, वह उरागन ठकुर (उरागन ठाकुर) है, जो उराँव लोगों के इतिहास में एक उराँव शासक के तौर पर उल्लेखित है।

36. **सरना आदिवासी धरम ([illegible])** :– दिनांक 11.11.2020 को झारखण्ड विधान सभा द्वारा झारखण्ड के आदिवासियों की परम्परागत आस्था एवं धार्मिक विश्वास को नाम दिये जाने तथा जनगणना सूची में धार्मिक आस्था कॉलम में शामिल किये जाने की वर्षों से लंबित मांग को पर **सरना आदिवासी धरम** नाम को सर्वसहमति से पारित किया और केन्द्र सरकार को जनगणना 2022–23 में धर्म कॉलम में शामिल करने हेतु भेजा गया। वैसे केन्द्र सरकार द्वारा इसे मान्यता नहीं मिला है।

इस तरह यह तथ्य है कि आदिवासियों की अपनी सभ्यता, संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्परा, धर्म, अनुष्ठान इत्यादि सभी चीजें हैं। जरूरत है इसे समझने और आत्मसात करने की। ईश्वर एवं ईश्वरीय शक्तियाँ सबके लिए एक समान है। आवश्यकता है एक अच्छा पात्र बनकर अपनी अन्तर्रात्मा को परमात्मा के साथ संबंध स्थापित करने की। एक सच्चा आदिवासी इस संबंध को स्थापित करने के लिए अपने कार्य को ईश्वर का कार्य समझकर ईमानदारी एवं निष्ठा पूर्वक करने का प्रयास करता है। अध्यात्म का दरवाजा भी यहीं से खुलता है। अध्यात्म व्यक्ति को ईमानदार, नीतिवान, नैतिकवान और चरित्रवान बनाता है जिसकी आवश्यकता समाज को है।

संकलन – डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा'
दिनांक – 10 जुलाई 2022,
मो.न.– 9771163804

उराँव समाज में धुमकुड़िया का प्रभाव अथवा प्रचलन कम होने या विलुप्त होने का कारण पर लोककथा

किसी समय में धुमकुड़िया स्थल से एक ही घर के दो बच्चे को बाघ द्वारा उठा कर ले जाया गया और गांव वालों के साथ मिलकर खोजने के बाद भी वे दोनों बच्चे नहीं मिले। तब से लोग ग्राम देवता की इच्छा अथवा संकेत मानकर अपने बच्चों को धुमकुड़िया भेजना छोड़ दिये। पर वर्तमान में धुमकुड़िया की आवश्यकता को देखते हुए इसे भविष्य में आने वाले खतरे के लिए पूर्व से ही तैयारी रखने का इशारा समझकर इसकी सुरक्षा के उपाय के साथ पुनर्गठन करना चाहिए। अर्थात बच्चों की शिक्षा एवं उन्नति के लिए अभिभावक की जागरूकता तथा जिम्मेदारी को आवश्यक बनाना होगा। – (यह एक पुस्तक का उद्धरण है)

6. ଆଖିପୁତି, ଗାଖିଅର ଆରା ଜୋହନୀ ମାଃଚରିତ

- ଡାଃ ଫାଲୁଣୀ ଝରିଆ

ଜୀବନରେ କୀଣଝଅର ଆଗରୁଆ. ଲଫୁଜରୀ ଆଗଝାଆଗରାଃ। ଜୋଚ'ା ଆଫରୀ. ା ଲଖିପା ମୁଣ ଝଫଲ ଯୁଗରୀ ଆଗଖୀଜ ୀଜଲ ଯୁଗଜଗୀ ଫୀଃଜରୀ. ରଯିଖୀଜ ଜି ଝୁଜଖଫରୀ ଜୀଆଜ ଯୀଜଜରଫ ମୀୀଆ ା:ଖଫ ଜଜଯଝଯ ୀଜଜ ଜଜଯଝଯୀ ଯଯ ଫରୀୀ-ଝଜରୀ ଗଝଯଝଯୀ ଜଜଯୀଆଜରୀ. ଜଯଜଯ ଫୀଜଖୀଫ ଜଫଜୀଜଗୀ ମଯ:ମୀ ା:ଯ ଯୁଗରୀ ଗିଁ:ଜୀ ଗଯ ଯଜୀଜରୀ ଫ:ଜଫରୀ. ା ଆଜଜରୀ ମୁଝ ଝୀଆ ଜୀଜରୀ ଜୀଜଫଗ ଗଝଜୀ ୀଜଜ ଯଜଜରୀ. ୀଜଜ ଯୁଗଜଗୀ ଫୀଜଗୀ ଜୀଜଫ ଜୀଜଫୀଜଫଗୀ ଜଜଯୀଆଜରୀ. ା:ଯ ଜୀଜଜୀଆ ଜଯଝଫରୀଆ ଆଜରୀ ମୁଝ ଜୀଜୀଆ'ଫ ଜଯଝଗୀ ୀଜଆ ଗୀଜଜ-ଗୀଜଜ ୀଖୀଫଗୀ ୀଜଜୀଜଜ ଯୁଜୀ ଜଯଝଯୀଆଜରୀ. ା ଆଆ:ଜୀ ମୁଝ ଯଜଜ ଗିଁ:ଜୀ ଆଯଫୀଜ ଗୀଗଯଝ ଜୀଆଜରୀ. ା:ଯ ଜୀଜଜୀଆ ଜୀଆଜ ଜୀଆ ଝୀଆ ଜୀଜଫ ଝଝଜୀ ୀଜଜ ଆଜଜରୀ ଜୀଜଫଗ ଗଝଜୀ ୀଜଜ ଯଜଜରୀ. ୀଜଜ ଯୁଗଜଗୀ ଫୀଜଗୀ ଜୀଜଫ ଜୀଜଫୀଜଫଗୀ ଜଜଯୀଆଜରୀ. ା ଆଆ:ଜୀ ମୁଝ ଯଜଜ ଗିଁ:ଜୀ ଆଯଫୀଜ ଗୀଗଯଝ ଜୀଆଜରୀ. ା:ଯ ଜୀଜଜୀଆ ଜଯଝଫରୀଆ ଆଜରୀ ମୁଝ ଜୀଜୀଆ'ଫ ଜଯଝଗୀ ୀଜଆ ଗୀଜଜ-ଗୀଜଜ ୀଖୀଫଗୀ ୀଜଜୀଜଜ ଯୁଜୀ ଜଯଝ

ାଜଟେଳ ୱଃଜ ଗଣ ାଗାଏଝାଜ ? ଣ ଲାଣଟେଳ ାଗାଜୱାଝ ଲାଃଟେଣ – ଝଏୱଜାଣ ୟଜଟେଣ ଗାଟେଟୋଜ ଗାଃାଗଣ ଏାଣ ଗାଃାଗଣଏ ଝଏଳ. ଜଏଃଜ ଏାଝଝାଣ ଟୋଜାଣ ଗାଃାଗଣଏ ଟୋାଗଏ ଜ ଗାଟେଟୋଜ ୱଜଏୋାାଜଜୟଳ ଣଃାଜଜ ଏାଟେଜଜ ଜଏ ଏାଜଏୱ ଲାାଜଏୱ. ୱଜଝଏୱଜ ଏୱ ଗଣ ଣଃାଜଜ ଲାାଜୟ ଗଜ ଜାଏ ଜାାଜଏୱ ଗାଟେଜଜ ଜଜଏୱଟୟ ାଜଜଏୱ ଗଜଏଜ ଜାଜଏୱ ଗାଟେଜଜ ଟୋଜଏୱ ଜଏଳ ଟୋଜଟେଣଏାଟେଜଜ ଟାଜଟେଣ ? ଜଃଝ ୱଳଏୋା ଏୱ ଶାଟେଣ ାଗାଟେଟୱ ଏାଜଜ ଗାଟେଟୋଜ ଟୋାଗଜ. ଣଃାଗଏ ଲାଃଟୋଜ ଜଜଃଜ ାଏାଜ ୱଜଜଜୱ ୱଃଜ ୱଜଜୱାାଜଜୟଳ ଜ ଗାଟେଟୋଜ ଏାାଗ ଟୱଳଏୱଜ. ାଗାଜୱାଝ ୟାଜଏଜଜ ଟୋଜଜ ଜଜଃଜ ଗଣ ଣଃାଗଏ ାଏାଜ ଜଜଜଏୱ ଟୋଜଜଜ ଜଜଃଜ ଜଜଏୱଟୟ ଣଃାଗଏ ଜଜଜଏୱ ଜଏଳ ଝଏଳ. ଣଃାଗଏ ଟୋାଗ ୱଜଏୱଜ ଏାଜଜ ଟୋଜଜଜ ଜଜଃଜ ଜଜଏୱଟୟ ଜଏଳ ଟୋଜଟେଣଏାଟେଜଜ ଟାଜଟେଣ ଜଏଳ ଝଏଳ. ଣଃାଗଏ ଟୋାଗ ଜଏଳ ଝ

[illegible]

लकड़ा, ककड़ो अरा मनख़ा ख़ाःपूस

जेट्ठे चन्ददो रहचा। बिड़ना, दहदहर'आ बिड़आ लगिया। आ बेड़ा नुम ओण्टा लकड़ा गे अम्म ओनका लग्गिया। टोड़ग ती उरखिया दरा गड्डी नाल आःड़ी हेद्दे अम्म बेद्दा गे अत्तरा–इत्तरा कुद्दा हेल्लरा। ढेर गहड़ी कईट्टका ख़ोख़ा आद ओन्टा कोहाँ ले लतरा ईरया। आ लतरा नू उला तरा तनी कुना अम्म एत्थरा। अम्म ओना तुक्कना ती जिया लपलपर'आ हेल्लरा। आद तंगहय बई–मुँईयन लाःता नू जब'रई ठुसचा अरा जोक्क–जोक्क अम्मन ओना हेल्लरा। आ लाःता नुम कोहाँ लेकन ककड़ो रहचा। आद तंगहय चरा ब'अर उला ती उरखा अरा लकड़ा गही मुंईय्यन तंगहय कोहाँ ले बक्का ती कड–ड़कड़ ले धरचा। लकड़ा गे नुंजआ हेल्लरा, पँहे ननो तो एन्देर ननो। सन्नी कुना लाःता नु बईय्यन अरा मुंईय्यन ठुसुरकी रहचा। आद बहरी तरा नतगी ख़ने कक्डो उला तरा नतगी। एन्ने मंज्जका ती लकड़द छटपटरनुम रईह केरा, अन्नु हूँ एन्देर हूँ नना पोल्ला। जुक्की बेड़ा छछेम रआ लगिया तले, फिन बहरी उरखा गे नतगा लगिया, ख़ने कक्डो हूँ फिन उला ती जोर नना लगिया। एन्नेम ढेर गहड़ी ती मंज्जा केरा।

लकड़द नुंजना ती अकुड़–बकुड़ मना हेल्लरा। पँहे ननो तो एन्देर ननो। एन्ने कइनो खेप मंज्जका ख़ोःख़ा छछेम मटियाचा चिच्चा। भरखर लोहाड़ी बेड़ा नु ओन्टा मनख़ा ख़ाःपु आःलस तंगहय मनख़न अम्म ओन्तआ गे बेद्दा केरस आ बीरीम एरा लगदस का ओण्टा कोहाँ ले आःड़ी किय्या ओण्टा लकड़ा हुमकुरिया मंज्जकी र'ई। मून्द नू गा आस हूँ एलचा ख़च्चियस। ख़ोःख़ा नु जियन बड़ियर नंज्जस अरा हेद्दे केरस दरा एःरदस का ओण्टा लकड़द तंग्हय बई–मुंईय्यन ककड़ो गही लता नू सज्जकी र'ई।

असन नीकईम अँड़सका रअ़नर एन्ने सड़ा ख़क्खर की लकड़द बाःचा। ए आःलय, ने ललदय, एन कोहाँ दुःखे नू फँसरकन रअ़दन। नीन एंग्गन सहड़ा नना, धरमेस निंग्गन दव बाख़ओस। एन्ने ब'अर की लकड़ा अरजी–बिनती नना हेल्लरा। एन्नेन मेनर, आलस गही जिया नू हूँ खरा सोग्गे कोरचा। ख़ने फँसरका लकड़ा गुसन अँड़सियस अरा बाःचस – एन्ने नीन एका से मंज्जकी रअ़दी ? लकड़द बाच किरताचा – एंग्गन ओण्टा ककड़ो, लाःता उला नू मुंईय़्यन कड़–कड़ ले धरचकी र'ई। ढेर गहड़ी ती अम्बम मल अम्बा लगी। एन बईय्यन बहरी नगदन होले आद उला तरा नतगी। एन्ने कत्थन अख़अर की आःलस जुक्की बेड़ा गा घोखआ हेल्लरस। तान–तान बआ लगदस एन्देर अख़ओय, लकड़न छोडा बओन चिओन तले अदी गही एन्देर भरसा, आद एंग्गन मोक्खा होले ? आ लकड़न हूँ ई कत्थन बाःचस। ख़ने लकड़द बाच किरताःचा – मला–मला, धरमे किरया, एन निंग्गन मल मोःख़ोन, एंग्गन नीन एकअम बेसे छोड़ा बआ चिआ।

एन्ने अख़का ख़ोःख़ा आस तंगहय आःरची ती लतरन्ता ककड़ोन खोड़चस, ख़ने ककड़ो लकड़ा गही मुंईय्यन अम्बिया चिच्चा। तले लकड़द तंग्हय बई–मुंईय्यन बहरी ओत्थरा। लकड़ा गही बई–मुंई ख़ेंःसो मंज्जकी रहचा। ई ख़ोःख़ा लकड़द आलासिन खरा दव बाख़चा। अदी ख़ेःख़ा आलस बाःचस – लगे अन्ति एन का लगदन ? आ बीरी लकड़द बाःचा – मेना ओण्टा कत्थन, नीन काःला गा काःलोय दिम। नीन पद्दा तरा काःलोय तले ई कत्थन एकेसआ नुम आःलर मझी अमके तेंग्गा। एन्देर गे का आःलर बओर – हय भला सन्नी ककड़ो अन्ने कोहाँ जोड़गर लकड़न कप्पकी अरा टिकाबाचकी रहचा ? ईद एंग्गा गे खरा लज्जे गही कथा तली। आःलस बाःचस – नीन अगर एन्ने बआ लगदी, होले एन एकेसआ नुम ई कत्थन मल तेंग्गोन। लकड़द धिराबअ़नुम बाःचा – अगर एन अख़ओन काःलोन का नीन एकेसआनुम इदिन तिंग्गका रअ़दय होले मुन्द नू निंग्गन दिम मोःख़ोन।

अन्तिले आ꞉लस तंगहय एड़पा चईल केरस। जोक्क उल्ला गू꞉टी आस ई कत्थन नेख़अय गुसन हुँ मल बा꞉चस। लकड़द हूँ तंगहय जिया नू एका–एका बी꞉री घोख'ई का आलस एकेसआ नुम तेंग्गदस कोनो का ? मल सहारका जिया नु उन्दुल आद, आ आलस गही एड़पा चोल्ला तरा केरा दरा मेना लगिया। आ बीरीम आस सथेम आ कत्थन आलर गही मझी तेग्गा ओ꞉रे नंज्जका रहचस। एन्नेन मेनर, लकड़ा गही जिया कैर ती असरा हेल्लरा – पहें ननो तो एन्देर ननो। लकड़द घोखचा का इन्ना गा आस जुक्की आ꞉लर गुसन दिम तिंग्गका रअ़दस, ई꞉स गा बरना उल्ला ढेर बग्गे आलर मझी तेंग्गोस अरा ओरमर अख़ओर का꞉लोर का – उन्दुल ओन्टा बड़ियर लकड़न ओण्टा सन्नी ले ककड़ो टिकाबा꞉चकी रहचा। लकड़ा घोखचा का ईन्दिर'ईम उरजिस गा ननना दिम मनो। जेट्ठे चन्ददो रहचा दिम, ओरमर चा꞉ली नु खटी अट्टर की अईय्या दिम बेडरा लगियर। आ आलस हूँ खटी नू बहरी बिडिरका रहचस। तरा मा꞉ख़ा लकड़द बरचा दरा खटी बा꞉रिम आ꞉सिन मेद नू लद'अर टोड़ंग तरा होआ हेल्लरा। डगरे नु खटिद मन्न गही डा꞉ड़ा अरा अत़ख़ा नु ठेकचा अरा सिड़–सोंड ले मेन्दरा, ख़ने आ꞉लस चो꞉चस अरा अक्खस का लकड़ा मुदई आ꞉सिन मो꞉ख़ा गे टोड़ंग मझी होआ लगी। आस ओन गुसन ताक ए꞉रर ओण्टा डा꞉ड़न धरचस की मय्याँ लफ्फरस। लकड़ा इदा तो खटिन चेड़अर की मझी टोड़ंग नु एत्ता꞉चा ख़ने गा ई꞉री का आलस अईय्या हईये मल्लस। ख़ने आद घोखचा का आ꞉लस खरा दगा चिच्चस।

आद तान–तान बआ हेल्लरा। अक्कु आस एकसन बछरओस। आ꞉सिन एन पेठ का꞉लो बीरी मझी टोडंग नू कप्पोन। एन्ने ब'अर आद पे꞉ठ उल्ला जोंहआ हेल्लरा। ओन उल्ला आस तंगहय अड्डो गड़ी नू पेठ नू बी꞉सना आ꞉लोन लदअर की होआ लगियस। आ बीरीम लकड़द मझी टोडंग ती सट्ठ ले उरखा दरा मझी डगरे नू इज्जा चिच्चा। आस गही गड़ी नाड़चका अड्डो हों दमदमारका ले इज्जा केरा। आ बीरीम लकड़ा बा꞉चा – इन्ना एकसन बोंग्गोय आ꞉लय ? तेंग्गा इन्ना एन निंग्गन मून्ध ा मो꞉ख़ोन का निंगहय अड्डोन मुन्ध मो꞉ख़ोन। आस जुक्की बेड़ा गा छछेम रहचस, अन्तिले बाच किरता꞉चस – अनय लकड़ा! एंगहय अड्डोन एन्देर गे मो꞉ख़ोय, अदी गही एन्देर कसूर? नीन एंग्गन दिम मुन्ध नू मो꞉ख़य, पँहे एंग्गा कटि कुना तमकु मो꞉ख़ा भईर चिअय, तले गा नीन एंग्गन मो꞉ख़ोय दिम।

एकन्ने का मुन्ध नू बा꞉चका रअ़ई का – जेट्ठे चन्ददो गही उल्ला रहचा अवंगे बग्गेम बिडना बिड़आ लगिया। उरमी अतख़ा जुक्की बेड़ा नुम रटरटरआ ख़ा꞉या लगिया। आ꞉लस तंगहय कड़मा ती सखुवा अतख़ा नू उईका तमकुन मो꞉ख़ा गे ओथोरआ हेल्लरस। आ बीरी ख़ईका अतख़ा रोच–पोच, रोच–पोच ख़रिख़या। अदिन मेनर की लकड़द बा꞉चा – एन्दरा हिके हरो? आस बाच किरता꞉चस – एन्देर रओ भईयो, ईद गा अउला ता ककड़ो दिम जुनु हिके। ककड़ो गही ना꞉मे मेनर, लकड़ा बा꞉चा – अमके अम्मबा, अमके अम्मबा, निंग्गन एन्देर हूँ मला ननोन, बअ़नुम टोड़ंग मझी तरा बोंग्गा हेल्लरा। आलस हूँ बा꞉चस – इसते की बोंग्गदन–चप्पदन, मखले अक्कु आद एंग्गन मल अम्मबो। अन्तिले लकड़द एका तरा बोंग्गा अदी गही अता–पता दिम मल चल्लरा। ई लेखा मुन्द नू इलिचका जिया ख़ोखा नू हूँ इलची।

मेनता–मेंजख़ा :–

(1) लकड़ा टोड़ंग ती एन्देर बेद्दा उरूख़की रहचा ?

(2) लकड़ा गही मुंईय्यन ला꞉ता नू एन्दरद कप्पकी रहचा ?

(3) लकड़न ईरयस आस एन्देर नलख ननु आ꞉लस रहचस?

(5) आ꞉लस ला꞉ता ता ककड़ोन एन्देर तुरू खोड़चस ?

(6) लकड़ा, आ꞉लासिन एन्देरन मल तेंग्गा गे बा꞉चा ?

(यह कहानी प्रकृति और जीव–जन्तु तथा मानव जीवन के साथ जुड़ी घटनाओं पर आधारित है। गर्मी के दिनों में एक बाघ अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश करता है। काफी परिश्रम करने के बाद उसे खेत के मेंड़ के पास एक केंकड़ा का बिल दिखलाई पड़ता है, जिसमें थोड़ा–थोड़ा पानी नजर आता है, पर वहाँ तक उसका मूँह नहीं पहुँचता। फिर काफी मसक्कत से अपने पंज्जों एवं नाखूनों से केंकड़े के बिल को चौड़ा कर मूँह पहूँचने लायक बनाकर पानी पीने लगता है। इसी बीच केंकड़ा बिल के अंदर से बाघ का नथुन को पकड़ता है। बाघ, दर्द से कराहता है और जोर से गरजता है। पर वह जितना अधिक गरजता, उतना ही अधिक दर्द होने लगता है। इस तरह बाघ और केंकड़ा से लड़ा पर हट नहीं पाया और मदद की गुहार लगाने लगा। इस घटना को दूर से एक चरवाहा देखता है और बाघ की मदद करता है। पर बाघ अपने शक्ति पर घमंड करता है और उस चरवाहे को नुकसान पहुँचाने की योजना बनाता है, परन्तु चरवाहे की हिम्मत–जुगत से नुकसान नहीं पहुँचा पाता है।)

कथा लेखन :

श्री सरन उराँव, हेहल पावाटोली, राँची, मो० : 9905570243

7. ''कुँड़ुख़ व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली'' विषय पर कार्यशाला एवं उद्घोषणा

दिनांक 01 मई 2022, दिन रविवार को आदिवासी उराँव समाज समिति, बिरसा नगर, जोन न०–6, जमशेदपुर में ''कुँडुख़ व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न हुआ। यह कार्यशाला, टाटा स्टील फाउण्डेशन, जमशेदपुर के तकनीकि सहयोग से संचालित ''कुँडुख़ (उराँव) भाषा एवं लिपि शिक्षण कार्यक्रम'' का अग्रेतर क्रियान्वयन था। इस कार्यशाला में आदिवासी उराँव समाज समिति, बिरसा नगर के पदधारी सहित माध्यामिक विद्यालय के छात्रगण एवं कालेज के छात्र उपस्थित थे। कार्यशाला का शुभारंभ समिति के अध्यक्ष श्री बुधराम खलखो द्वारा हुआ।''कुँडुख़ व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली'' विषय पर परिचर्चा के लिए अद्दी कुँडुख़ चाला धुमकुड़िया पड़हा अखड़ा (अद्दी अखड़ा), झारखण्ड, राँची, संस्था के संयोजक डॉ० नारायण उराँव द्वारा प्रस्तुत किया गया। इस व्याख्यान में डॉ० बिन्दु पहान एवं भाषा–लिपि शिक्षण केन्द्र की शिक्षिका सुश्री गीता कोया एवं सुश्री भवानी कुजूर सहयोगी रहीं।

टाटा लौह नगरी, जैसे औद्योगिक शहर के बिरसा नगर, कॉलोनी में एक समूह अभी भी अपनी भाषा, संस्कृति एवं लिपि सीखने–सिखाने के लिए प्रयासरत है। इस कार्यशाला में उपस्थित छात्र–छात्राओं ने इस विषय को ध्यान पूर्वक सुना और इसे अपने जीवन में उतारते हुए अपनी शिक्षा तथा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल किये जाने की घोषणा की। समिति की ओर से श्री प्रकाश कोया के धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात कार्यशाला समाप्त हुआ।

''कुँडुख़ व्याकरण की पारिभाषिक शब्दावली'' इस प्रकार है।

(1) हहस / [illegible]= Voice, औच्चारणिक ध्वनि।

(2) ख़हस / [illegible] = Allophone, ध्वनिम।

(3) सड़ा / [illegible] = Sound in general, सामान्य ध्वनि।

(4) सरह / [illegible] = Vowel, स्वर।

(5) हरह / [illegible] = Consonant, व्यंजन।

(6) सहङ / [illegible] = Syllable, Agglutinative, शब्दखण्ड, औचारणिक इकाई।

(7) सँवसिरा / [illegible] = Nature, प्रकृति। सँवसे + सिरा = सँवसिरा (उरमी गही सिरजरना अड्डा, सँवसे गही उपचन अड्डा)।

(8) तोड़ / [illegible] = Letter, वर्ण।

(9) तोड़ङ / [illegible] = Syllable letter, अक्षर।

(10) तोड़न / [illegible] = Spelling,वर्तनी, हिज्जा।

(11) तोड़पाब / [illegible] = Alphabets, वर्णमाला।

(12) जोटठा / [illegible] = Coined Form, compound, संयुक्त।

(13) जोट्ठा सरह / [illegible] [illegible]= Compound Vowel, संयुक्त स्वर।

(14) जोट्ठा हरह / [illegible] [illegible] = Compound Consonant, संयुक्त व्यंजन।

(15) बक्क / [illegible] = word, शब्द।

(16) रूईह बक्क / [illegible] = Grammatical Word, पद, व्याकरणिक शब्द।

(17) रूड़आ बक्क / = Phrase, समूह शब्द, पदबंध।

(18) बकपुन / = Sentence, वाक्य।

(19) कुहाबकपुन / = Clause, Component, उपवाक्य।*Componant of a Sentence. * कोंहा = बड़ा, कुहा = छोटा हिस्सेदार।

(20) बक्कसमा / = Word Compound, समास।

(21) बक्कपाँःती / = Word order, पदक्रम।

(22) बक्कमेःल / = Co-ordination, अन्वय (मेल)।

(23) बक्कदोहड़ा / = Repetition, पूनरूक्ति।

(24) कत्थतुर्रा / = Proverb, कहावत, लोकोक्ति।

(25) बक्कतुर्रा / = Idioms, मुहावरा।

(26) बईतुर्रा छाव / = Idioms & Phrase, कहावत एवं मुहावरा।

(27) मुर्रा छाव / = Exaggerated Form, वृद्धिवाचक रूप।

(28) आःल / = जिया आल, मानव, मानव जीवन, प्रकाशमान शक्ति।

(29) आःलो / = मानवेतर, मानव इतर।

(30) आःले / = आल–आःलो दोनों में उभयनिष्ठ पुरूष वाचक सर्वनाम।

(31) सय / = Mr. , श्री, श्रीमान, सय (पिता, पौरूष)। सयस = श्रीमान्।

(32) सयमी / = Miss. , सुश्री, अविवाहित पुत्री। मई = बेटी, पुत्री।

(33) सयख़ी / = Mrs , श्रीमती, सय ख़ई।

(32) बेःलसयमे / = Prince, राजकुमार। मेःत = पुरूष, मर्द।

(35) बेःलसयमु / = Princess, राजकुमारी। मुक्का = औरत, महिला।

A. पिंज्जका / = Noun, संज्ञा।

1. नामे पिंज्जका / = Proper Noun, व्यक्तिवाचक संज्ञा।

2. जईत पिंज्जका / = Common / Class Noun, जातिवाचक संज्ञा।

3. गोठ पिंज्जका / = Collective Noun, समूहवाचक संज्ञा।

4. जिनसी पिंज्जका / = Material Noun, द्रब्यवाचक संज्ञा।

5. गुनसी पिंज्जका / = Abstract Noun, भाववाचक संज्ञा।

B. उइजिपिंज्जका / = Pronoun, सर्वनाम।

1. आःले उइजीपिंज्जका = Personal Pronoun, पुरुषवाचक सर्वनाम।

2. थिथाबअ़उ उइजीपिंज्जका / = Demonstrative Pronoun, निर्देशवाचक सर्वनाम।

3. अनथाह उइजीपिंज्जका / = Indefinite Pronoun, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।

4. अमलारका उइजीपिंज्जका / = Reflexive Pronoun, आत्म–वाचक सर्वनाम।

5. मेनता उइजीपिंज्जक / = Interrogative Pronoun, प्रश्नवाचक सर्वनाम।

6. मेःलनता उइजीपिंज्जका / = Relative Pronoun, संबंध वाचक सर्वनाम।

7. दप्पछाव उइजीपिंज्जका / = Possessive Pronoun, अधिकार–संबंध वाचक सर्वनाम।

8. खद़्ट्टु उइजीपिंज्जका / [illegible] = Distributive Pronoun, विभाजक–वाचक सर्वनाम।

C. आ:ले / [illegible] = Person, पुरुष।

1. बअ़उ आ:ले = First Person, पुरुष। ए:न – ए:म। ए:म – श्रोता एवं अन्य रहित।

2. मिनु आ:ले = Second Person, पुरुष। नी:न – नी:म। नी:म – वक्ता एवं अन्य रहित।

3. ई:रू (बार'उ) आ:ले = Third Person, पुरुष। ता:न – ता:म। ता:म – वक्ता एवं श्रोता रहित। ना:म – वक्ता, श्रोता एवं अन्य सहित।

D. मे:द / [illegible] = Gender, लिंग

1. मे:तछया मे:द / [illegible] = Masculine Gender, पुलिंग, पुरूष वाचक। नमूद – कुक्कोस बरआ लगदस। कुक्कोर बरआ लगनर। कुक्को बगय बरआलगनय। पचगिस बरआ लगदस। पचगी गर बरआ लगनर। पचगी बगय ओना लगनय (स्त्री.)।

2. मुक्कछया मे:द / [illegible] = Feminine Gender, स्त्रीलिंग, स्त्री वाचक। नमूद –कुकोय बरआ लगी। कुकोयर बरआ लगनर। कुकोय बगय बरआ लगनय। पच्चोर बरआ लगनर। पच्चो बगय बरआ लगनय।

3. आ:लोछया मे:द / [illegible] = Non Human Gender, मानवेतर लिंग, मानवेतर वाचक लिंग। नमूद – आ:लो बरआ लगी। आ:लो गुट्ठी बरआ लगी। अबड़द आ:लो तली।

नोट :–

कुँडुख़ भाषा में लिंग निर्णय करते समय निम्न तथ्यों को भी ध्यान देना चाहिए। सामान्य तौर पर इस भाषा में क्रिया का रूप कर्ता के अनुसार परिवर्तित होता है। परन्तु मानवेतर जीव–जन्तुओं के लिंग निर्णय में क्रिया का रूप एकवचन तथा बहुवचन दोनों के साथ एक ही रूप रहता है। जैसे – बकरी आ रही है और बकरियाँ आ रही हैं को कुँडुख़ भाषा में ''ए:ड़ा बरआ लगी अरा ए:ड़ा गुट्ठी बरआ लगी'' कहा जाता है। इसी तरह बैल आ रहा है और गाय आ रही है को कुँडुख़ भाषा में ''अड्डो बरआ लगी अरा ओये बरआ लगी'' कहा जाता है। यहाँ मानवेतर लिंग में दोनों वचन तथा दोनों लिंग के साथ एक ही प्रकार का क्रिया रूप प्रयोग होता है। इसलिए कुँडुख़ व्याकरण में लिंग निर्णय करते समय मानव लिंग विचार एवं मानवेतर लिंग विचार की तरह समझा जाना चाहिए :–

1. आ:लछया मे:द / [illegible] = Human Gender, मानवीय लिंग, मानव लिंग विचार।

(i) मे:तछया मे:द / [illegible] = Masculine Gender, पुलिंग, पुरूश वाचक।

(ii) मुक्कछया मे:द / [illegible] = Feminine Gender, स्त्रीलिंग, स्त्री वाचक।

2. आ:लोछया मे:द / [illegible] = Non Human Gender, मानवेतर लिंग, मानवेतर लिंग विचार।

E. गनयाँ / [illegible] = Number, वचन।

1. ओन्द गनयाँ / [illegible] = Singular Number, एकवचन।

2. बग्गे गनयाँ / [illegible] = Plural Number, बहुवचन।

F. ननतु / [illegible] = Case, कारक

1. ननुतु'उ ननतु / [illegible] = Nominative Case, कर्ता कारक। ओठङा (Case Sign, विभक्ति चिह्न) – अस, अय, अर, अद।

2. मनतु'उ ननतु / [illegible] = Accusative Case, कर्म कारक। ओठङा (Case Sign, विभक्ति चिह्न) – सिन, इन, अन।

3. कम्हड़े ननतु / [illegible] = Instrumental Case, करण कारक। ओठङा (case sign, विभक्ति चिह्न) – तुरू, तुले, ती, बले, गुने।

4. पँड़सरना ननतु / [illegible] = Dative Case, सम्प्रदान कारक। ओठङा (Case sign, विभक्ति चिह्न) – गे, खतरी।

5. अम्बरना ननतु / [illegible] = Ablative Case, अपादान कारक। ओठङा (Case Sign, विभक्ति चिह्न) – ती।

6. नतामुठन ननतु / [illegible] = Genitive Case, संबंध कारक। ओठङा (case sign, विभक्ति चिह्न) – गही, ही, घी। (Genitive case is not a case, but it is a case.)

7. थम्बाथाह ननतु / [illegible] = Locative Case, अधिकरण कारक।ओठङा (Case Sign, विभक्ति चिह्न) – नु, तरा, गुसन, गुसता, तरता।

8. संगोता ननतु / [illegible] = Sociative Case, संगति कारक। ओठङा (case sign, विभक्ति चिह्न) – गने, संग्गे।

9. हँका ननतु / [illegible] = Vocative Case, संबोधन कारक। ओठङा (case sign, विभक्ति चिह्न) – अना,अनय, अने, ए, ए दे। (Vocative case is not a case, but it is a case.)

** ननतु (ननु–ननतु'उ ही नलंग गगे नता तुन'उ) = कारक, Case. ननुता (ननु–ननतु'उ मनेता) = उदेश्य, Subject. मनुता (मनु–मनतु'उ मनेता) = कर्म, Object. आईनता (आईनका मनेता) = विधेय, Predicate.

G. गुनख़ी / [illegible] = विशेषण, Adjective.

1. गुन गुनख़ी / [illegible] = Adjective of Quality, गुनवाचक विशेषण।

2. लेक्खा गुनख़ी / [illegible] = Numeral Adjective , संख्यावाचक विशेषण।

3. जोक्खा गुनख़ी / [illegible] = Adjective of Quantity, परिमाणवाचक विशेषण

4. उइजीपिंज्जका गुनख़ी / [illegible] = Demonstrative Adjective, सार्वनामिक विशेषण।

H. नलङ–गुनख़ी / [illegible] = Adverb, क्रिया विशेषण।

1. बेड़ा नलङ–गुनख़ी / [illegible] = Adverb of time, कालवाचक क्रिया विशेषण।

2. अड्डा नलङ–गुनख़ी / [illegible] = Adverb of Place, स्थानवाचक क्रिया विशेषण।

3. जोक्खा नलङ–गुनख़ी / [illegible] = Adverb of Auantity,परिमाणवाचक क्रिया विशेषण

4. नेत–रीत नलङ–गुनखी / [illegible] = Adverb of Manner, रीतिवाचक क्रिया विशेषण।

I. जोक्खा नखरना / [illegible] = Comparison of Adjective, तुलनावाचक विशेषण।

1. मूलिना छाव / [illegible] = Positive Degree, मूलावस्था, प्राकृतिक रूप।

2. जोक्खा छाव / [illegible] = Comparative Degree, उत्तरावस्था।

3. चुन्दआ छाव / [illegible] = Superlative Degree, उत्तमावस्था।

J. नलङ / [illegible] = Verb, क्रिया रचना के आध ार पर :–

1. मूलिना (मूली नाःमे) नलङ / [illegible] = Simple / Native Verb, मूल क्रिया।

2. जोट्ठा नलङ / [illegible] = Compound Verb, यौगिक क्रिया।

(क) ननरकी नलङ छाव / [illegible] = Active Verb, Doer, क्रियाशील क्रिया।

(ख) मनरकी नलङ छाव / [illegible] = Passive Verb, अकर्मक क्रिया, अक्रियाशील क्रिया।

(ग) ननतु'उ नलङ छाव / [illegible] = Causal Verb, प्रेरणार्थक क्रिया।

(घ) मनतु'उ नलङ छाव / [illegible] = Accusative Verb, परावर्तित क्रिया।

(ङ) पिंज्जकामुठन नलङ / [illegible] = Noun Derived Verb, नाममूल क्रिया।

(च) सड़ामुठन नलङ / **[illegible]** = Sound Based Verb, ध्वनिमूलक क्रिया।

3. मुद्ध नलङ / **[illegible]** = Principal Verb, प्रधान क्रिया। कमना, बअ़ना।

4. पँड़सु नलङ / **[illegible]** = Auxiliary Verb, सहायक क्रिया। रअ़ना, लगना।

5. पँड़सतार'उ नलङ / **[illegible]** = Complimentary Verb, सम्पूरक क्रिया। ननना, मनना।

6. सत्थेमसरी नलङ / **[illegible]** = Universal Verb, सार्वभौमिक क्रिया। तलना, बेअ़ना, हिकना। सत्थेम = सत्य। सरी = प्रतिनिधि। सत्य वचनों के साथ प्रयोग होने वाला क्रिया। यह क्रिया हमेशा ही वर्तमान काल में व्यवहार होता है।

7. मनतु'उ रअ़उ नलङ / **[illegible]** = Transitive Verb, सकर्मक क्रिया।

8. मनतु'उ मलका नलङ / **[illegible]** = Intransitive Verb, अकर्मक क्रिया।

K. नलङ मेदोख़ा / **[illegible]** = Mood, क्रिया वृत्ति।

1. बाःचका नलङ मेदोख़ा / **[illegible]** = Indicative, साधारण, बअ़ना+ मेनना।

2. पेःसका नलङ मेदोख़ा / **[illegible]** = Imperative, संभाव्य, पेःसना+ तेंग्गना।

3. बाःख़का नलङ मेदोख़ा / **[illegible]** = Subjunctive, आदेशात्मक, तुक्कना+बाःख़ना।

L. नलङ किता / **[illegible]** = Types of verb, क्रिया के प्रकार

1. ननरकी नलङ छाव / **[illegible]** = Active Doer Form Verb, सक्रीय क्रिया, कर्त्तार्थक क्रिया।

2. मनरकी नलङ छाव / **[illegible]** = Passive verb, अक्रियाशील क्रिया, अकर्मक क्रिया।

3. ननतु'उ नलङ छाव / **[illegible]** = Active causal Form Verb, प्रेरणार्थक क्रिया।

4. मनतु'उ नलङ छाव / **[illegible]** = Passive reflexive verb, परावर्तित क्रिया, फलार्थक क्रिया।

M. नलङ छाव / **[illegible]** = Form of verb, क्रिया का रूप।

1. सुर्रा छाव / **[illegible]** = Simple form or indefinite form, सामान्य रूप

(i) सुर्रा रअ़ना छाव / **[illegible]** = Present simple form, सामान्य वर्तमान रूप। नमूद – कमदन, कमदय, गुट्ठी।

(ii) सुर्रा केरका छाव / **[illegible]** = Past Simple form, सामान्य भूत रूप। नमूद – कमचकन, कमचकय, कमचस, कमचकत, कमचर, कमचन, कमचा गुट्ठी।

(iii) सुर्रा बरना छाव / **[illegible]** = Future Simple Form, सामान्य भविष्यत रूप। नमूद – कमओन, कमओय, कमओस, कमओर, कमओम, कमओ गुट्ठी।

2. पेःसका छाव / **[illegible]** = Command Form, विधि रूप, आज्ञार्थक। नमूद – कमआ, ओना, नना, इदआ, बीतआ, ओक्का, बोंग्गा, पेसा गुट्ठी।

3. पूर्चका छाव / **[illegible]** = Completness Form, Perfect Form, पूर्ण रूप। नमूद – कमचका, ओण्डका, नंज्जका, इद्दका, बीःतका, उक्का, बोंग्गका, पेःसका गुट्ठी।

4. ननते–मनते छाव / **[illegible]** = Progressive Form, प्रगतिशील रूप। नमूद – कमनुम, ओननुम, नननुम, इदतेम, ओक्कतेम गुट्ठी।

5. ननर–मनर छाव / **[illegible]** = Participal form, पूर्वकालिक रूप। नमूद – कमअर, ओनर, ननर, इदअर, ओक्कर, बोंग्गर, पेसर, बरअर, एमअर, मोःख़र गुट्ठी।

6. नलङ मेदोख़ा छाव / **[illegible]** = Mood Form, क्रिया भाव रूप। नमूद – कमआ

लग्गो, ओना बेद्दन, नना पँहेस, ओक्कदर नेकआ, ओना तुक्की, मोःख़ोन केन्धेल गुट्ठी।

N. बेड़ा अरा परिया / [illegible] = Time and Tense, समय और काल

I. रअ़ना परिया / [illegible] = Present Tense, वर्तमान काल।

II. केरका परिया / [illegible] = Past Tense, भूत काल।

III. बरना परिया / [illegible] = Future tense, भविष्यत काल।

I. रअ़ना परिया / [illegible] = Present tense वर्तमान काल

1. सुर्रा रअ़ना परिया / [illegible] = Simple Present Tense. सामान्य वर्तमान काल। *मंगरस मण्डी ओनदस।

2. सरलगआ रअ़ना परिया / [illegible] = Present Continuous Tense. अर्पूण वर्तमान काल। *मंगरस मण्डी ओना लगदस।

3. पूर्चका रअ़ना परिया / [illegible] = Present Perfect Tense पूर्ण वर्तमान काल। *मंगरस मण्डी ओण्डका रअ़दस। एःन मण्डी ओण्डकन रअ़दन।

4. ननते–मनते रअ़ना परिया / [illegible] = Present Progressive Tense, पूर्ण–अपूर्ण वर्तमान काल। *मंगरस मण्डी ओननुम रअ़दस।

II. केरका परिया / [illegible] = Future Tense, भूतकाल।

1. सुर्रा केरका परिया / [illegible] = Simple Past Tense, सामान्य भूतकाल। *मंगरस मण्डी ओण्डस।

2. सरलगआ केरका परिया / [illegible] = Past Continuous Tense, अपूर्ण भूतकाल। *मंगरस मण्डी ओना लगियस।

3. पूर्चका केरका परिया / [illegible] = Past Perfect Tense, पूर्ण भूतकाल। *मंगरस मण्डी ओण्डका रहचस।

4. ननते–मनते केरका परिया / [illegible] = Past progressive tense, पूर्ण–अपूर्ण भूतकाल। *मंगरस मण्डी ओननुम रहचस।

III. बरना परिया / [illegible] = Future Tense, भविष्यत काल

1. सुर्रा बरना परिया / [illegible] = Future Tense सामान्य भविष्यत काल। *मंगरस मण्डी ओनोस।

2. सरलगआ बरना परिया / [illegible] = Future Continuous Tense अपूर्ण भविष्यत काल। *मंगरस मण्डी ओना लइग्गका रओस।

3. पूर्चका बरना परिया / [illegible] = Future Tense, पूर्ण भविष्यत काल। *मंगरस मण्डी ओण्डका रओस

4. ननते–मनते बरना परिया / [illegible] = Future Progressive Tense, पूर्ण–अपूर्ण भविष्यत काल। *मंगरस मण्डी ओननुम रओस।

O. ननुता अरा आईनता / [illegible] = Subject & Predicate, उदेश्य और विधेय

1. ननुता / [illegible] = Subject, उदेश्य।

2. आईनता / [illegible] = Predicate, विधेय।

P. बकपुन / [illegible] = Sentence, वाक्य

1. सेब्बा बकपुन / [illegible] = Simple Sentence, सरल वाक्य।

2. जोट्ठा बकपुन / [illegible] = Compound Sentence, यौगिक वाक्य।

साभार :–

आधुनिक कुँड़ुख़ ग्रामर, लेखक : डॉ. नारायण भगत एवं डॉ. नारायण उराँव 'सैन्दा'

संशोधित प्रकरण – मई 01, 2022

धईनमोज़रा Thank You

[illegible]

8. पिता की सम्पति पर बेटी का अधिकार : एक उराँव महिला की कलम से

– डॉ० बैजयन्ती उराँव, पी.एच.डी. (गृह विज्ञान)

देश की आजादी के बाद भारत में नया संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और कई पुराने छोटे–बड़े रियासत एक झण्डे के नीचे आ गये। इस नव निर्माण में लोगों के बीच के अपने सामाजिक एवं सम्प्रदायिक व्यवस्था को हिन्दु पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ, ईसाई विवाह कानुन आदि पूर्व की तरह ही नये संविधान में स्वीकार कर लिया गया। भारतीय जनजाति समूह क्षेत्र में 5वीं एवं 6वीं अनुसूचित क्षेत्र के नाम से विशेष प्रशासनिक क्षेत्र निर्धारित किया गया। इन्ही 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अन्तर्गत उराँव (कुँड़ुख़) जनजाति के नाम से देश के कई हिस्से में निवासरत है। इनकी अपनी भाषा, संस्कृति, रीति–रिवाज, परम्परा एवं विधान है। भारतीय कानून व्यवस्था में इन रीति–रिवाज, परम्परा, संस्कृति आदि को कस्टमरी लॉ या दस्तुर कानुन के नाम से जाना जाता है। उराँव समूह की इन परम्परागत सामाजिक एवं वैधानिक संगठन का नाम पड़हा है जिसे 3, 5, 7, 9, 12, 21, 22 आदि गाँव के लोग परम्परानुसार गठन किये हैं।

पद्‌दा पचोरा (ग्राम सभा) में किसी मामले का निपटारा नहीं हो पाने की स्थिति में पड़हा स्तर पर विवाद को सुलझाया जाता और पड़हा स्तर पर विवाद नहीं सुलझने की स्थिति में मामले की गंभीरता के अनुसार वह मामला ''बिसु सेन्दरा'' में विचार किया जाता है। बिसु सेन्दरा के परम्परिक रूप से गठित पदाधिकारियों जैसे – पड़हा बेल, पड़हा देवान, पड़हा कोटवार आदि के द्वारा निर्णय किया जाता है। कई लोग अब यहाँ के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में न्यायालय में मामले को ले जाते हैं।

इन बातों के होते हुए बचपन के कुछ प्रष्न मेरे मन मस्तिष्क को बार–बार विचलित करते रहते थे। पिताजी के साथ खेतों में काम करते हुए पिताजी हमेशा खेतों का नाम लिया करते थे – 1. कोड़कर भूईहरी खेत 2. कायमी रैयती खेत, 3. परती कदिम खेत (गैरमजूरवा खेत को जोत कब्जा कर बंदोबस्ती किया हुआ 4. नावल्द वाला बंदोबस्ती खेत। पिताजी बोलते थे – आज रैयती खेत पिपरा चौरा में धान बुनने जाना है। मैं पिताजी से खेतों के बारे में अकसर पूछा करती थी। इन खेतों को मेरे नाम लिखवा दो। मैं शादी के बाद आपके पास रहूँगी, खेती करूँगी, ससुराल नहीं जाऊँगी। पिताजी कहते थे, बेटियों के नाम खानदानी जमीन को नहीं लिखवा सकते है। उसमें बेटा लोगों का नाम रहता है। तुमको एक जगह का जमीन दिखा देगें, जहाँ पर तुम अपने पति एवं बच्चों के साथ जीवन भर कमा खा सकती है। जब अपना ससुराल जाना चाहोगी ससूराल चली जाना। मैं अपने कमाई का जमीन खरीदकर दूँगा, उसको तुम्हारे नाम लिख दूंगा किन्तु वंशावली (खानदानी) जमीन को बेटी को नहीं दिया जाता है। ये जमीन को बेटा–बहु के लिए छोड़ा जाता है। उस समय मैं पिताजी से कुछ बोल नहीं पायी और मेरे मन में बहुत से प्रश्न उठते रहे। इन प्रश्नों के बारे में मैं 22 पड़हा बिसुसेन्दरा महासम्मेलन, बिसुसेन्दरा स्थल – सैन्दा टोली, थाना सिसई, जिला गुमला में 20, 21 एवं 22 मई 2013 एवं 9, 10 मई 2015 को 52 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा महाधिवेशन 2015, स्थान : चैगरी छपर बगीचा, थाना सिसई, जिला गुमला में शामिल हुई और 04, 05 मई 2019 को 22 पड़हा ग्रामसभा बिसुसेन्दरा महाधिवेशन 2019, बिसुसेन्दरा स्थान : टाना बगीचा, लंगटा पबेया, थाना सिसई, जिला गुमला का रिपोर्ट जो टी. आर. आई. रांची में अभिलेख है को देखी–समझी और एक बच्चे की माँ के रूप में पूरी जिम्मेदारी के साथ इस आलेख का संकलन की हूँ।

उराँव समाज में बेटियों को पैतृक जमीन पर अधिकार क्यों नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर ढूँढ़ने पर पता चलता है कि – उराँव आदिवासी समुदाय में बेटी की शादी हो जाने पर वह अपने पति की सम्पति की स्वामी खुद बन जाती है। यदि वह अविवाहित हो अथवा विधवा हो गई हो किसी कारण वश छूट गई हो। और ससुराल में नहीं रह कर अपने पिता के घर रह रही हो तो वैसे स्थिति में उसे जीवन–यापन के लिए पिता की सम्पति पर अधिकार दिया जाता है। वह उसका उपयोग जब तक जीवित है तब तक कर सकती है पर उसे बेच नहीं सकती है। वैसे कोड़कर एवं भूँईहरी जमीन को मर्दों को भी बेचने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वह बाप–दादा के पूर्व से खानदान में चला आ रहा है।

परम्परागत उराँव (कुँड़ुख़) समाज में सामाजिक शादी के अन्तर्गत सिर्फ स्वाजातीय शादी की मान्यता है, परन्तु स्वजाति में सगोत्रीय शादी वर्जित है। स्वजाति सगोत्रीय एवं विजातीय शादी को परम्परागत कुँड़ुख़ समाज वर्जित करता

है। एक गोत्र के लोगों में भाई–बहन का रिश्ता माना गया है। सामाजिक परम्परा के विरूद्ध की गयी शादी समाज में निदंनीय एवं दण्डनीय है।

क्या पुरूष वर्ग विजातीय शादी कर सकता है यदि कर लिया तो समाज उसके साथ क्या करती है ? कुँड़ुख़ समाज पितृप्रधान परम्परा पर आधारित है। फिर भी वर्जना के बाद भी यदि कोई विजातीय शादी या ढुकू को बढ़ावा देता है तो उसे समाज मान्यता नहीं देता है और वह परम्परानुसार सामाजिक दण्ड का भागी होता है तथा समाज में मिलने–मिलाने के लिए वर वधु का सामाजिक शुद्धिकरण तथा सामाजिक शादी नेगचार करना होता है। इसके लिए सामाजिक दण्ड के रूप में निर्धारित राशि एवं पड़हा भोज कराना पड़ता है।

जब महिला विजातीय शादी करती तब क्या किया जाता है ? या समाज उसके साथ क्या व्यवहार करती है? परम्परागत कुँड़ुख़ समाज में वर्जना के बाद भी यदि कोई महिला विजातीय शादी करती है, तो उसे गाँव समाज में कहा जाता है कि वह गांव छोड़कर अपने चुने हुए पति के साथ चली जाए। इस कृत्य के लिए परम्परानुसार उसके माता–पिता या अभिभावक द्वारा सामाजिक दण्ड एवं पड़हा भोज दिया जाता है। इसके अतिरिक्त उस कन्या के संतान को उराँव जाति का सदस्य नहीं माना जाता है।

बेटियों को जमीन पर सम्पूर्ण अधिकार क्यों नहीं है ? परम्परागत आदिवासी समाज में जमीन को परिवार के भरन पोषण का आधार माना गया है। जिसके चलते यह वंशानुगत सम्पति है और इसे सामाजिक व्यवस्था की मान्यता के अनुसार एक वंश से दूसरे वंश में हस्तान्तरण नहीं किया जाता है। इस तरह परम्परा के अनुसार समाज में हरेक लड़की को शादी से पहले अपने पिता के घर और शादी के बाद अपने पति के वंशानुगत सम्पति में स्वाभाविक उपभोग का हिस्सेदार होती है। वैसे पुस्तैनी भूईहरी जमीन को बेचना महिला के साथ पुरूष के लिए भी वर्जित है। यदि कोई महिला विजातीय विवाह करती है और अपने पिता के जमीन पर हक माँगती है, ऐसे में बाहरी लोग आदिवासी बेटियों को विवाह कर अपने नाम जमीन लिखवा लेने का कार्य करने से समाज का ही शोषण होता है, इसलिए जमीन पर सम्पूर्ण अधिकार नहीं दिया गया होगा। दूसरी बात यह है कि बेटा या बेटी जन्म लेना एक नैसर्गिक अथवा प्राकृतिक प्रक्रिया है तथा मर्द या औरत के नैसर्गिक गुण अपनी प्राकृतिक दशा के अनुसार चलती है। क्या, कोई बेटी यह चाहेगी कि वह शादी के बाद अपने पति से अलग रहे? आदिवासियों, खासकर परम्परागत आदिवासियों का प्रथागत नेग–संस्कार, नैसर्गिक व्यवहार के अनुरूप है और हजारों साल से यह गिरते–पड़ते आ रहा है। इसे लोग समझें!!

समाज कितने शादी की अनुमति देता है ? परम्परागत उराँव़ समाज में समाज द्वारा किसी लड़का या लड़की को उसके जीवन में मड़वा शादी सिर्फ एक बार किया जाता है किन्तु विशेष परिस्थिति में जैसे पहली पति/पत्नी की मृत्यु होने पर, पहली पति/पत्नी के पागल होने पर, पहली पति/पत्नी के घर छोड़कर जाने पर, पहली पति/पत्नी का नामर्द/बांझपन की स्थिति में विवाह विच्छेद हेतु बिहउड़ी (सामाजिक दण्ड) किया जाता है?। उसके बाद समाज में संगहा बेंज्जा (सगई नेःग) समाज में दूसरी शादी करने की प्रथा है। उराँव समाज में विधवा शादी, विधुर शादी एवं तलाक शुदा की शादी संगहा बेंज्जा नेग द्वारा किया जाता है।

पति पत्नी के बीच विवाह विच्छेद (तलाक) का मामला किस तरह से निपटारा किया जाता है ? पति पत्नी के बीच विवाह बिच्छेद (तलाक) के लिए परम्परागत तरीके से बिहउड़ी लेन–देन किया जाता है। बच्चों के परवरिश (परबस्ती) की जिम्मेदारी प्राकृतिक रूप से पिता पर होती है। यदि बच्चा नाबालिक हो तो बच्चा माँ के साथ रह सकता है या बिहउड़ी के समय बच्चे के हित में समाज को जैसा अच्छा लगे के अनुसार होता है। यदि विवाह विच्छेद लड़का द्वारा किया गया हो तो माँ–बच्चे के परवरिश के लिए बच्चे के पिता को खोरपोस (जीवन यापन का साधन) व्यवस्था करना होता है। यदि संबंध विच्छेद लड़की द्वारा किया गया हो तो खोरपोस व्यवस्था के लिए लड़का बाध्य नहीं किया जाता है। बालिग होने पर पुत्र/पुत्री पिता के वारिष के रूप में सम्पति में परम्परागत रूप से हकदार होते हैं।

परम्परागत उराँव समाज की रूढ़ीवादी परम्परा विश्वास धर्म आस्था एक धरोहर है। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज रूढ़ीवादी परम्परा को बरकरार रखते हुए परम्परा के अनुसार की गई शादी से उत्पन्न संतान को ही वंशानुगत सम्पति (पुस्तैनी) जमीन में हिस्सेदारी देता है इसके अतिरिक्त किसी भी विधि से की गई शादी से उत्पन्न संतान को पुस्तैनी जमीन में हिस्सेदारी दिलाने हेतु समाज जिम्मेदारी नहीं उठाता है।

The Gazette of India May 3, 1913 (The 2nd May 1913) के No 550 में कहा गया है मुण्डा उराँव संताल, हो, भूमिज, खड़िया, गोड़ आदि के लिए पूर्व से ही

उनके कस्टमरी को मान्यता दी गई है जिसे Pesa Act 1996 द्वारा वर्तमान में विधि का बल प्राप्त है।

आजादी के बाद देश का सविधान रचने वालों ने भी आदिवासियों के लिए एक विशेष प्रावधान बनाया। हिन्दु उतराधिकार कानून में इन्हें सीधे तौर पर हिन्दु नहीं माना गया है। उसी तरह हिन्दु विवाह कानुन, हिन्दू दत्तक कानून आदि में भी सीधे तौर पर आदिवासियों को हिन्दू नहीं माना गया है। देश की आजादी के 49 वर्ष बाद भारतीय संसद द्वारा पेसा एक्ट Pesa act 1996 पारित किया गया, जिसमें आदिवासी रूढ़ी परम्परा भाषा संस्कृति को विधि का बल प्राप्त है। जिस तरह हिन्दू उतराधिकार कानून, हिन्दू दत्तक कानून सीधे ईसाई एवं मुस्लिम पर नहीं लगता है। विधिक तौर पर या संवैधनिक तौर पर परम्परागत आदिवासियों पर हिन्दु विवाह कानून एवं हिन्दु उत्तराधिकार कानून नहीं लगता है। परन्तु जो व्यक्ति यह स्वीकार करे ही कि वह हिन्दू धर्म परम्परा को मानता है और जाति प्रमाण पत्र के लिए एक हिन्दू धर्म मानने वाले के हिसाब से प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो उस पर सभी हिन्दू कानून लग सकता है। आदिवासी मामले में हिन्दू विवाह कानून सामान्य तौर पर नहीं लगने के चलते आदिवासियों को प्रथागत विवाह विच्छेद (Customary Divorce) का सबुत प्रस्तुत करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड, राँची द्वारा अप्रील 2021 में निर्देश जारी किया गया है।

ईसाईयों में ईसाई विवाह कानून है तथा इस्लाम में मुस्लिम कोड बिल है। ईसाईयों में इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट के तहत विवाह एवं विवाह विच्छेद या Divorce का प्रावधान है इन पर हिन्दू उतराधिकार कानून एवं हिन्दू दस्तक कानून नहीं लगता है। परम्परागत आदिवासियों का अलग से कोई Marriage Act या Divorce Act या Succession Act नहीं हैं। वे अपने पारम्परिक दस्तूर कानून से संचालित होते है और इसे Pesa Act 1996 के तहत विधि का बल प्रदान किया गया है।

क्या परम्परागत आदिवासियों में उत्तराधिकार कानून, विवाह कानून, विवाह विच्छेद कानून एवं दत्तत ग्रहण कानुन है – उत्तर है कोई विशिष्ट कानून नहीं है। परम्परागत आदिवासी समाज में रूढ़ी प्रथा के अंतर्गत सभी बातें व्यवहार में है और यह सभी पद्धतियाँ परम्परागत आदिवासी समाज में रूढ़ी प्रथा के साथ चली आ रही है जिसे कस्टमरी (Customary) कानून भी कहा जाता है।

क्या कस्टमरी (Customary) व्यवस्था को मानने के संदर्भ में अबतक केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है?– इस संबंध में भारत सरकार का विधि मंत्रालय या गृह मंत्रालय तथा झारखण्ड का विधि विभाग या गृह विभाग द्वारा कोई विशिष्ट दिशा निर्देश अथवा अधिसूचना जारी किये जाने की जानकारी नहीं है, पर माननीय हाईकोर्ट द्वारा अप्रील 2021 में इस दिशा में कार्य किया गया है। वैसे संसद द्वारा पारित पेसा एक्ट के द्वारा उपरोक्त बातों को विधि का वल प्राप्त है।

परम्परागत उराँव परिवार में शादी के रस्म–रिवाज में परिवार की सहमति, समाज की सहमति तथा बारात लेकर आने का अर्थ लड़का पक्ष की सहमति के बाद पगसी–पट्टा सिन्दरी तथा सभा सिन्दरी नेग होता है और विदाई के समय पिता या भाई के द्वारा कोरा में उठाकर वर पक्ष को कोरा में सौंपा जाता है तथा वर पक्ष वाले कोरा में ग्रहण करते हैं। उस दिन से लड़की का मां–बाप का कोरा से ससुराल वाले का कोरा का पक्ष स्वाभाविक रूप से जुड़ जाता है। शादी के बाद का पहला करम उपवास लड़की अपने मायके में करती है और करम पूजा का सारा सामान उसके ससुराल से करम डउड़ा में आता है। विवाहित कन्या के प्रथम करम उपवास में दोनों पक्ष के लोग खीरा बेटा के रूप में आने वाले संतान अथवा वंश की कामना करते हैं। इसी तरह शादी के बाद विदाई में गांव परम्परा में विदाई के समय एक बकरी साथ में भेजा जाता है। विदाई में एक बकरी भेजने के पीछे का सोच है कि जब बेटी पहली बार माँ बनेगी तो उसे अपने बच्चे को दूध पिलाने में तकलीफ न हो और जब उसका बच्चा बड़ा होने लगे तो उसे कभी भूखा सोना न पड़े। साथ ही समाज एवं परिवार का आशीर्वाद भी साथ भेजते हैं कि बेटी का घर हमेशा किलकारियों से भरपूर हो।

परम्परागत उराँव सताज में शादी नेग में लड़का तथा लड़की के घर से हल्दी, तेल, अरवा चावल, नगड़ा मिट्‌टी, दुबला घाँस को एक साथ लड़की के घर पर मिलाकर बाँटा जाता है और फिर उसे अपटन तैयार कर नहलवाया जाता है। चूँकि वर एवं वधु के उपर एक दूसरे के गांव का मिट्‌टी लगा हुआ होता है, अतएव शादी के बाद लड़की के गांव में लड़का, गांव का दामाद तथा लड़का के गांव में लड़की गांव की बहु–बेटी बन जाती है और अंतिम संस्कार के समय, दो गज जमीन के लिए दोनों गांव में हकदार माना जाता है।

बदले हुए परिवेश में लड़कियाँ उच्च शिक्षा तक पहूँच रही हैं। मैं स्वयं एक मजदूर किसान की बेटी आज गृह विज्ञान

9. ई. एन. टी. विशेषज्ञ की कलम से

सेवा में,

संपादक
कुँड़ुख़ टाईम्स (कुँड़ुख़ वेब पत्रिका), राँची (झारखण्ड)।

यह जानकर खुशी हुई कि अद्दी अखड़ा प्रकाशन, राँची द्वारा प्रकाशित, कुँड़ुख़ वेब पत्रिका, कुँड़ुख़ टाईम्स का 3रा मुद्रित संस्करण एक नए उमंग के साथ सभी पाठकों तक पँहुचने हेतु सज–संवर चुकी है। इस संदर्भ में यह भी ज्ञात हुआ है कि इसका उद्देश्य, वर्तमान टेकनोलोजी के साथ प्राच्य भाषा का विकास की संभावना तलाशना है। यह यथार्थ है कि अब वर्तमान तकनीक के Web Version के साथ भाषा विकास की धारा को जोड़ा जाना चाहिए, अन्यथा समस्त चीजें पिछड़ जाएंगी। इस ओर नये सोच और जनश्रुति के साथ अद्दी अखड़ा का कुँड़ुख़ भाषा विकास के लिए प्रयास किया जाना मार्गदर्शक सिद्ध होगा।

मेरा जन्म एक गांव में ही हुआ और मेरा भी बचपन गाँव में ही बीता। मैंने गाँव में रहकर पढ़ाई आरंभ की और एक चिकित्सा विज्ञान विषय (ENT / नाक, कान, गला) में विशेषज्ञता हासिल की। मैंने अपने प्रोफेसन में रहकर बच्चों को बोलते हुए तथा चलते हुए नजदीक से देखा है। माँ के कोख से जन्म के बाद, बच्चा माँ का दूध पीकर बड़ा होने लगता है। जब वह 6 महीना का होता है तब वह एक आक्षरिक शब्द पा.., बा.., मा आदि सीखता है। 9 महीने में वह द्विआक्षरिक शब्द पपा.., बबा.., ममा.. आदि सीखता है और 1 वर्ष की उम्र में वह कई शब्द अर्थ सहित सीख लेता है। इस क्रम में जो बच्चा कान से सुन पाता है वही बोलता है। अर्थात किसी व्यक्ति के बोलने के लिए उसका कान से सुनना जरूरी है। यह तथ्य है कि मनुष्य जब किसी आवाज को सुनता है तो उसका मस्तिष्क उन बातों को समझकर उसी के अनुकूल जबाव देने की क्रिया करता है अतएव जो सुन नहीं सकता वह बहरा–गुंगा हो जाता है।

एक उराँव आदिवासी परिवार में जन्में एवं पले–बढ़े होने के चलते बचपन में जिन बातों को अनायास ही किया करता था, उन्हीं बातों को चिकित्सा विज्ञान के साथ जुड़ने के बाद विज्ञान के तरीके से समझने का अवसर मिला। साथ ही समाज में रहकर जिन बातों का बोध बचपन में हुआ वे सारी बातें इस त्रैमासिक पत्रिका के पूर्व अंकों के माध्यम से जानने और समझने का अवसर प्राप्त हुआ, यह मेरे लिए सुखद अनुभूती है।

चिकित्सा विज्ञान के नाक,कान,गला विभाग विषय में उच्च शिक्षा (MBBS, M.S.) प्राप्त करने के बाद मैं महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज अस्पताल, जमशेदपुर में एसोसिएट प्रोफेसर सह विभागाध्यक्ष, ई.एन.टी विभाग, रहा और नवम्बर 2017 में सेवानिवृत होकर अपने पारिवारिक जीवन का लाभ ले रहा हूँ। एक लम्बे अंतराल के बाद मेंरे मन यह प्रश्न उठता है कि मेरा बचपन का वह गांव, जिसने हमें उर्जावान किया, क्या वहाँ की उर्जा का समग्र विकास हो पाया है ? या मेरे जैसे लोग, उससे उर्जावान होकर मुख्य धारा में बहते चले जाएंगे! वहाँ की सुधी कौन लेगा ? यह प्रश्न स्वयं से करें और रास्ता ढूढ़ें ?

– डॉ0 सत्योत्तम भगत
ई.एन.टी. विशेषज्ञ, एम.जी.एम.एम.सी. जमशेदपुर
स्थायी निवास : ग्रा०+पो०–टेंगरिया, था०–पालकोट, जि०–गुमला (झारखण्ड)

विषय में पी.एच.डी. हूँ और शिक्षिका हूँ। यह तभी संभव हुआ और जब मेरे माता–पिता एवं भैया–भाभी का साथ तथा डांट का सादगी से सामंजस्य कर पायी। वर्तमान समय में वैसी लड़कियाँ अपने पिता की संपत्ति पर अधिकार मांगती हैं जो अपने समाज के रिस्ते से बंधना नहीं चाहती हैं और समाज की मनाही के बाद भी गैर–जातीय विवाह कर रही होती हैं, जिनमें कहीं न कहीं सामाजिक रूप से असुरक्षा का भाव जगता हैं, जो एक बड़ा कारण बन रहा है।

इस तरह आदिवासियों को अपना खेत–जमीन, समाज और आदिवासी पहचान भाषा संस्कृति बचाना है तो उन्हें अपने पुस्तैनी धरोहर को संरक्षित था सुरक्षित रखना पड़ेगा अन्यथा सामाजिक धरोहर एवं पहचान नहीं बचेगा। पारम्परिक आदिवासी समाज को अपने रूढ़ी परम्परा को मानना चाहिए और पारम्परिक आदिवासी विश्वास धर्म आस्था को एक संवैधानिक नाम न मिलने तक अपने पारम्परिक आदिवासी आस्था विश्वास एवं पुरखौती धरोहर को बचाकर रखना होगा। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता का आधार हमारी रूढ़ी परम्परा पर है। क्या, वर्तमान एवं आधुनिक नवजवान पीढ़ी इन बातों पर गौर करेगी ???

आलेख –
श्रीमती बैजयन्ती उराँव
सहायक शिक्षिका
बुनियादी उत्क्रमित उच्च विद्यालय,
सेन्हा, लोहरदगा, झारखण्ड।

10- परम्परागत धुमकुड़िया पुनर्जागरण अभियान हेतु सैन्दा गांव की पहल

दिनांक 14 जनवरी, 2012 को ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार' तथा डॉ नारायण उराँव के नेतृत्व में सर्वप्रथम धुमकुड़िया दिवस समारोह मनाया गया। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सेवा निवृत निदेशक प्रमुख, सिंचाई विभाग , बिहार सरकार श्री अजित मनोहर खलखो एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में डोरण्डा कालेज रांची के कुँड़ुख़ भाषा विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ० नारायण भगत एवं चिकित्सक डॉ० विजय उराँव उपस्थित थे।

दिनांक 25 अक्टुबर 2014 को अद्दी कुँड़ुख़ चाला धुमकुड़िया पडहा अखड़ा (अद्दी अखड़ा), राँची के सहयोग से पड़हा कोटवार' श्री गजेन्दर उराँव के नेतृत्व में ग्राम – सैन्दा, थाना – सिसई, जिला – गुमला के पुरखा पिण्डा नामक स्थान में धुमकुड़िया सोहराई जतरा (दिवाली के दो दिन बाद) मनाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा, भारत के अध्यक्ष श्री बंधन तिग्गा एवं डॉ० नारायण उराँव की उपस्थिति में शुभारंभ हुआ। इसमें धुमकुड़िया के बच्चे एवं अन्य पड़हा–प्रतिभागी उपस्थित थे।

लगभग एक दशक बाद धुमकुड़िया कोरना उल्ला (प्रवेश दिवस) की तिथि माघ पुर्णिमा के अवसर पर निर्धारित किया गया और दिनांक 16 फरवरी, 2022 को माघ पुर्णिमा के अवसर पर ग्राम : सैन्दा, थाना : सिसई, जिला : गुमला (झारखण्ड) में श्री गजेन्द्र उराँव 'कोटवार' तथा डॉ .नारायण उराँव ''सैन्दा'' के नेतृत्व में यह धुमकुड़िया कोरना उल्ला (धुमकुड़िया प्रवेश दिवस) मनाया गया। इस अवसर पर फा० अगुस्तिन केरकेट्टा, सेवा निवृत ग्रुप कैप्टन श्री अल्बर्ट बाअ़ एवं डॉ० बुदु उराँव उपस्थित थे।

11. परम्परागत पड़हा-बिसुसेन्दरा पुनर्जागरण अभियान हेतु 22 पड़हा गांव की पहल

दिनांक 22 एवं 23 मई 2013 को 22 गांव (9 पड़हा, 7 पड़हा एवं 5–6) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का बैठक किया गया। इस बैठक में गांव की सामाजिक व्यवस्था का संचालन एवं कठिनाईयाँ विसय पर चर्चा हुआ। बैठक में समाज के लोगों के सामने कुँड़ुख भासा और तोलोंग सिकि लिपि के पठन–पाठन की जानकारी दी। उपस्थित जन समूह ने इसे सहर्स स्वीकार किया और इसे समाज द्वारा संचालित स्कूलों में पढ़ाये जाने के लिए सहमत हुए।

दिनांक 05 मई 2019 दिन रविवार को, परम्परागत कुँड़ुख़ समाज का 22 पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : लंगटा पबेया, थाना : सिसई, जिला : गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पुजारी महतो, पहान पुजार उपस्थित थे। बिसु सेन्दरा आयोजन समिति की ओर से विगत 9वें वर्षों से लगातार आयोजन किया जा रहा हैं। 9वें वार्षिक सम्मेलन में पड़हा–बिसुसेन्दरा की ओर से एक लिखित प्रस्ताव पारित कराया गया और समाज में वितरित किया गया।

दिनांक 21 एवं 22 मई 2022 दिन शनिवार एवं रविवार को 22 पड़हा गांव (9 पड़हा गांव, 7 पड़हा गांव एवं 6 पड़हा गांव) के ग्रामीणों द्वारा अपनी परम्परा के अनुसार पड़हा–बिसुसेन्दरा का आयोजन किया गया। परम्परागत कुँड़ुख़ समाज द्वारा आयोजित यह 22 पड़हा ग्रामसभा बिसु सेन्दरा का वार्षिक 2 दिवसीय सम्मेलन ग्राम : अका कोरा, गड़री टोली, थाना : भरनो, जिला– गुमला में सम्पन्न हुआ। सम्मेलन में 22 गाँव के गाम सभा के पदधारी एवं परम्पारिक ग्रामीण पुजारी महतो, पहान पुजार उपस्थित थे।

12. टाटा स्टील फाउण्डेशन द्वारा संपोषित कुँड़ुख़ भाषा-तोलोंग सिकि शिक्षण केन्द्र का झलक

दिनांक 25 अगस्त 2021 दिन शनिवार को आदिवासी उराँव समाज समिति पुराना सीतारामडेरा, जमशेदपुर में टाटा स्टील फाउन्डेशन, द्वारा संपोषित, कुँड़ुख़ भाषा शिक्षण केन्द्र का उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर टी.एस.एफ. के ट्राईबल हेड श्री जीरेन जे० टोपनो, कार्यपालक अधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग, अद्दी अखड़ा के संयोजक डाँ० नारायण उराँव एवं डॉ. बिन्दु पहान एवं उराँव समाज समिति के पदधारी गण तथा शिक्षिकाएँ एवं बच्चे उपस्थित थे।

वीर बुधू भगत कुँड़ुख़ विद्यालय, छोटका सैन्दा, सिसई दिनांक 29 अगस्त 2021 दिन रविवार को ग्राम सैन्दा, थाना : सिसई में कुँड़ुख़ भाषा एवं तोलोंग सिकि (लिपि) पठन–पाठन केन्द्र का निरीक्षण, टाटा स्टील फाउन्डेषन, जमशेदपुर के कार्यपालक पदाधिकारी श्री शिवशंकर कांडेयोंग द्वारा किया गया। इस अवसर पर फाउन्डेशन के सहयोग से अददी अखड़ा, संस्था द्वारा प्रकाशित तोलोंग सिकि वर्णमाला चार्ट का वितरण उपस्थित सभी अभिभावकों एवं बच्चों के बीच किया गया

दिनांक 13 मार्च 2022 को ऐतिहासिक पड़हा जतरा खुटा शक्तिस्थल, मुड़मा, राँची के सांस्कृतिक भवन में तीन दिवसीय मातृभाषा शिक्षा सह कुँड़ुख़ भाषा तोलोंग सिकि तथा धुमकुड़िया विषयक कार्यशाला का उद्घाटन सम्पन्न हुआ। यह कार्यशाला टाटा स्टील फाउण्डेशन, के तकनीकी सहयोग से सम्पन्न हुआ। इसमें मुख्य अतिथि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के प्रधान सचिव श्रीमती वंदना दादेल उपस्थित थीं।